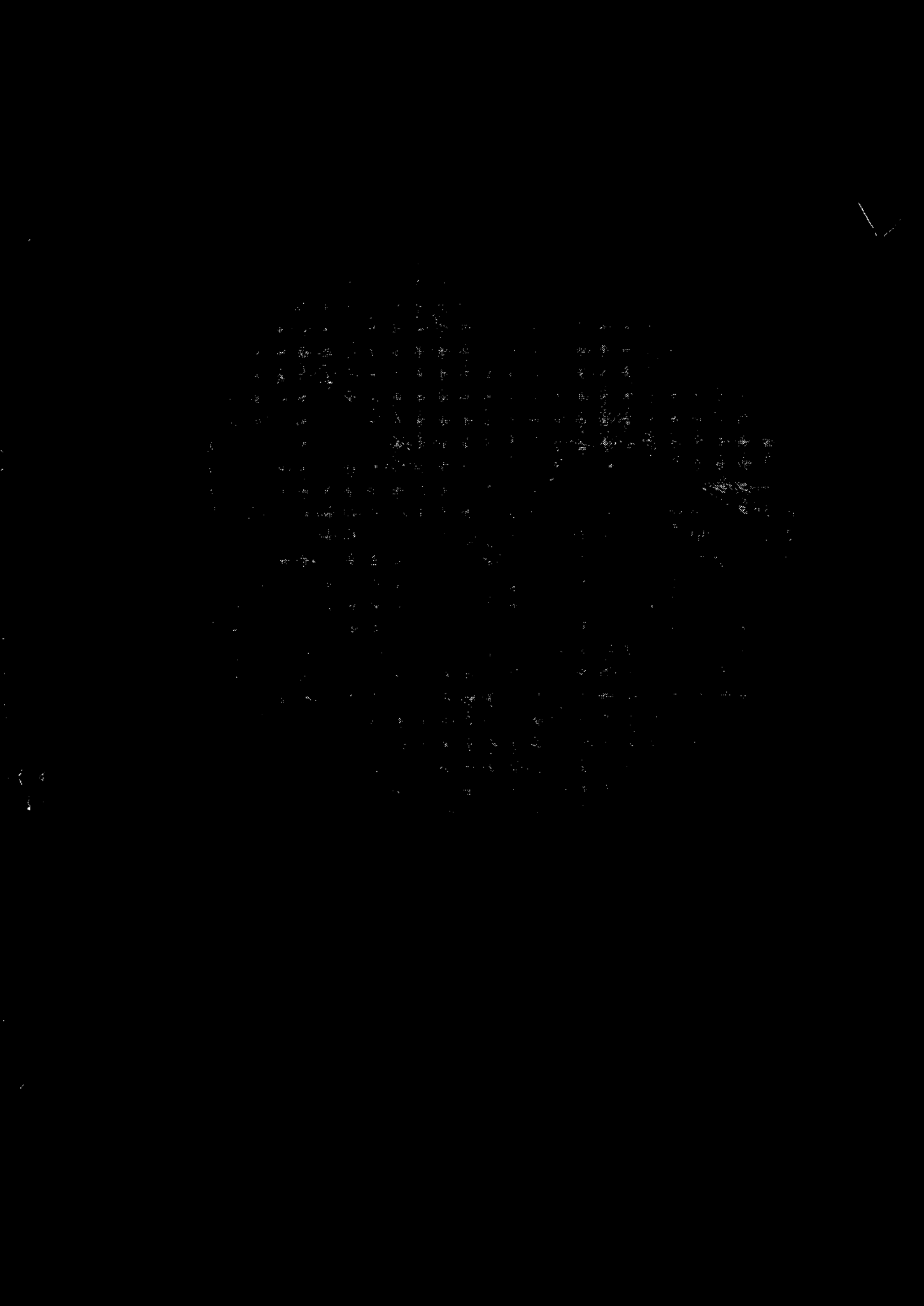

संपादकीय

गरीबी निवारण के कार्यकलापों मे तालमेल बिठाया जाए

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिए योजना का जो दौर चला उससे हमारे कर्णधारों को यह महसूस हुआ कि देश में इन योजनाओं के कार्यान्वयन से विकास तो हुआ पर इस विकास से गरीब जनता अधिक लाभ न उठा सकी। परिणामतः अमीर और अमीर होते गए और गरीब और गरीब होते गए। परन्तु अब हमारी प्रधान-मंत्री ने बीस सूत्री कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा उससे जुड़े ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को तेजी से लागू करने पर बल दिया है। अब तक जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उनके अनुसार इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फल-स्वरूप साढ़े तीन करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए जा चुके हैं और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 1982-83 में 30 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाये जाने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के अधीन जिनको सहायता दी जाएगी उनमें कम से कम 30 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जन जातियों और अनुसूचित जातियों के होंगे। कार्यक्रम के अधीन 1981-82 में 3 करोड़ 2 लाख परिवारों की सहायता की गई। इसी अवधि में 259 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र और राज्यों द्वारा सबसिडी के रूप में दी गई जबकि यह राशि 1980-81 में केवल 150 करोड़ रुपये थी। 1981-82 में ऋण के रूप में 986 करोड़ रुपये जुटाए गए जबकि इससे पहले वर्ष में यह राशि केवल 199 करोड़ रुपये थी।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम देश के 5011 विकास खण्डों में लागू है और प्रतिवर्ष हर खण्ड में गरीबी की रेखा से नीचे के 600 परिवारों को उत्पादक पूंजी और अदान देकर सहायता की जाती है जिससे वे गरीबी की रेखा से ऊपर आय का स्तर प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। छठी योजना की अवधि में इस कार्यक्रम के अधीन एक करोड़ 50 लाख परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य है और इस के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का बराबर का योग होगा। इसके अतिरिक्त, 3000 करोड़ रुपये का संस्थात्मक ऋण भी जुटाया जाएगा। इसी तरह ट्राइसेम योजना के तहत 2 लाख ग्रामीण युवक और युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वे स्वयं अपना धंधा खड़ा कर सकें। चालू वर्ष की वार्षिक योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए 8374 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की गई है। इसमें से 1227 करोड़ रुपये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर और 190 करोड़ रुपये ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर खर्च किए जाएंगे। इस तरह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी और इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि पूरी की पूरी धन राशि का समुचित उपयोग हो और इनके कार्यान्वयन में रुकावट को अवसर प्राप्त न हो।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक विशेष धारणा यह है कि सबसे अधिक गरीब आदमी को पहचाना जाए। वास्तव में प्रशासकों पर ग्रामीण क्षेत्र के खुशहाल और प्रभावशाली लोगों का यह दबाव रहता है कि इस कार्यक्रम का लाभ उनको भी मिले। विनोबाजी ने तो यहां तक कहा था कि सहायता उन्हीं को पहुंचती है जो सहायता की रस्सी में जोर लगा कर उसे अपनी ओर खींच लेते हैं और वह गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाती। इस स्थिति से निपटने के लिए जरूरी है कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन का दायित्व उन लोगों को सोंपा जाए जो गरीबों के प्रति करुणा रखते हों और सच्चे तथा निष्ठावान हों।

दूसरे ग्राम्य विकास की लक्ष्य प्राप्ति के लिए जनता का सहयोग और सहभाग अनिवार्य है परन्तु प्रशासक और जन-सहयोग जुटाने वाले संगठनों के बीच कोई तालमेल नहीं बैठ पाता। अतः ऐसी व्यवस्था जरूरी है जिससे ग्राम्य विकास के कार्यों में जन सामान्य का सही माने में सहयोग और सहभाग प्राप्त हो।

हमारे मूल्यांकन की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण है। बैंक अपने कार्य का निष्पादन अपने ऋणों की वसूली के आधार पर करता है जिसका ग्रामीण विकास के साथ तनिक भी मेल नहीं बैठता क्योंकि ऋणों की वसूली का आशय ग्रामीण विकास से जुड़ा नहीं होता। इस प्रकार कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन भी अन्तिम लक्ष्यों का नहीं, बल्कि मध्यवर्ती लक्ष्यों का ही मूल्यांकन करता है। अतः समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारण से लेकर मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाओं तक उनके बीच संगति लानी होगी। तभी इन कार्यक्रमों का लाभ समाज के निम्नतम गरीब वर्ग तक पहुंच सकता है।□

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : **सम्पादक, कुरुक्षेत्र** (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

एक प्रति 1 रु०, वार्षिक चन्दा 10 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : एस० एल० जायसवाल
सहायक व्यापार व्यवस्थापक :
एल० आर० बत्रा
सहायक निदेशक (उत्पादन) :
के० आर० कृष्णन

दूरभाष : 382406
सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : परमार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 28 **पौष–माघ 1904** **अंक 3**

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

समुन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से देहातों का कायाकल्प 2
रमेश दत्त शर्मा
उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्राम्य विकास योजना में सहकारी ऋण 4
जितेन्द्र नाथ मल्होत्रा
कर्नाटक की भूमि परियोजना 6
एम० आर० गविरायप्पा
कृषि विकास की दिशा में मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम 8
अमिताभ शुक्ल
ईर्ष्या (लघु कथा) 9
राजेन्द्र परदेसी
ग्रामीण समुदायों का राजनैतिक ढांचा 10
डा० जगदीश सिंह राठौर
किसान की धरोहर खेती और पशुधन (गांव कथा) 12
अपर्णा उपाध्याय 'मम्मू'
लघु उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने का प्रयास 14
एस० एस० वर्मा
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 15
राजस्थान के कोटा संभाग में मछली पालन 16
प्रभात कुमार सिंघल
गाँधी जी और राष्ट्रीय एकता 18
सुरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-1982 20
ब्रजलाल उनियाल
सफलता की चोटी पर (कविता) 22
शाहाबुद्दीन खान
भारत में भूमिक्षरण और उसका निदान 23
डा० ओम प्रकाश शर्मा * प्रो० श्यामलाल गुप्त
व्यापार मेले की प्रमुख झलकियां 26
आलोक कान्त
अब देश की खातिर जीना है (कविता) 27
आशा शर्मा
मां का दूध––स्वस्थ सपूत 28
अक्षय कुमार
साहित्य समीक्षा 30
केन्द्र के समाचार 32
जय भारत कहना होगा (कविता) आवरण पृष्ठ 3
डा० योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरुण'

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से

देहातों का कायाकल्प

रमेश दत्त शर्मा

आइए गुजरात के एक गांव में चलकर देखें। यहां के सूरत जिले के इस गाव में एक नदी है मिनोडोला। आदिवासी युवक रनजी उस दिन इस नदी पर जाल डालकर बैठा हुआ, अपना भाग्य आजमा रहा था कि राम करे मछलियां आ-आकर उसके जाल में फंसती जाएं। आज यही आदिवासी युवक मछलियां पकड़ने के लिये राम भरोसे रहने के बजाय विज्ञान की मदद ले रहा है। गुजरात राज्य के मछली विभाग ने रनजी को बांस और सागौन की लकड़ी से बना एक पिंजरा दिया और तिलापिया तथा कार्प मछली के अण्डे भी दिए। अब रनजी ने जाल डालने की बजाय नदी में अपना पिंजरा लगा दिया है। 20 महीने में अंडों से निकली मछलियां बढ़कर इतनी बड़ी हो जाएंगी कि उन्हें तौला जाए तो उनका वजन 600 किलोग्राम से कम नहीं बैठेगा। स्थानीय बाजार में इन मछलियों को छह रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा सकेगा। यानी पूरे 3600 रुपये की आमदनी। रनजी की सफलता से प्रभावित होकर उसके दूसरे नौजवान साथी भी मछली पालने के लिये पिंजरों की मांग करने लगे। इन आदिवासी नवयुवकों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यालय के कार्यक्रम के अन्तर्गत पिंजरों में मछली पालने का प्रशिक्षण दिया गया। सूरत जिले की मिनोडोला नदी 150 किलो मीटर लम्बी है और इसमें पूरे साल पानी रहता है। अब इसमें जगह-जगह 100 पिंजरे लगाए जा रहे हैं। मछली पालने के लिए नए वैज्ञानिक तरीके से गुजरात के इस आदिवासी क्षेत्र के लगभग 60 परिवारों को रोजगार का भरोसेमन्द साधन मिल गया है।

नए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तीसरे सूत्र में समन्वित ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को मजबूत बनाने और ज्यादा लोगों को इनसे लाभान्वित करने पर बल दिया गया है। यों तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम देश भर के सभी विकास-खंडों में 2 अक्तूबर, 1980 से लागू कर दिया गया है, पर खासतौर से इस कार्यक्रम के अधीन चलाए गए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की प्रगति उतनी तीव्रता से नहीं हुई है, जितनी कि अपेक्षा की गई थी। सन् 1981–82 के दौरान केन्द्र की ओर से राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए निर्धारित, पूरी राशि 380 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए गए थे। इसके अतिरिक्त इससे पिछले वर्ष सन् 1980–81 में इस कार्यक्रम के अधीन इस्तेमाल न होने के कारण बच रहे एक सौ करोड़ रुपये की राशि भी राज्यों को दे दी गई थी। इस तरह कुल मिलाकर केन्द्र ने राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाने के लिए 480 करोड़ रुपये जारी किए जिनमें से केवल 156 करोड़ 31 लाख रुपये ही इस्तेमाल किए गए।

प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और उससे जुड़े ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को तेजी से लागू करने पर बल दिया है। पिछले दिनों ही लोकसभा में कृषि राज्यमंत्री श्री बालेश्वर राम ने बताया कि इस वर्ष सन् 1982–83 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन लगभग 30 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। अब तक साढ़े तीन करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए जा चुके हैं। इसी तरह ग्रामीण युवकों के अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य धंधे सिखाने के लिये शुरू की गई "ट्राइसेम" योजना के तहत दो लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है। इस वर्ष के योजना परिव्यय में इन कार्यक्रमों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। योजना मंत्री श्री शंकरराव चव्हाण ने चालू वर्ष की वार्षिक योजना में 20 सूत्री कार्यक्रमों को लागू करने पर 8374 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की। इसमें से समन्वित ग्रामीण विकास के लिए 1227 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बेरोजगार ग्रामीण युवकों को "ट्राइसेम" योजना के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तीन हिस्सों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में फसलों के बीज तैयार करना और उनकी बिक्री-व्यवस्था, बागवानी, खुंभी उगाना, मछली पालन आदि, रखे गए हैं। दूसरे क्षेत्र में कुटीर उद्योग के रूप में माचिस बनाना, आतिशबाजी का सामान बनाना, अगरबत्ती बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और घानी का

तेल तैयार करने जैसे धंधे शामिल हैं। तीसरे क्षेत्र में आटोरिक्शा चलाना, खुदरा व्यापार, बैंड वादक, रेडियो और साड़ियों की मरम्मत करना, गोबर गैस के संयंत्र लगाना और उनकी मरम्मत जैसे काम आते हैं। प्रशिक्षण के लिए युवकों को तकनीकी संस्थाओं, कारखानों और फैक्टरियों में या विशेष प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजने के अतिरिक्त गांव में ही विशेषज्ञों को भेजकर कृषि और उससे जुड़े धन्धे सिखाने का इन्तजाम किया गया है।

पहले ग्राम विकास के जो भी कार्यक्रम चले, उनमें किसी एक पक्ष पर ही बल दिया जाता था। लेकिन समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण परिवारों के जीवन-स्तर को हर दृष्टि से विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है। छठी योजना में देश भर के 5011 विकास खंडों में यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। हर वर्ष प्रत्येक विकास खंड में साढ़े तीन हजार रुपये वार्षिक से कम आमदनी वाले 600 परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत लाया जा रहा है। इस तरह हर साल लगभग 30 लाख परिवारों को दरिद्रता के चंगुल से मुक्त किया जा सकेगा। इसके लिए हर विकास खंड को 35 लाख रुपये तक खर्च करने का प्रावधान है। हर परिवार को अपने धंधे शुरू करने के लिए 3000 रुपये तक की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है।

इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र की ओर से 1500 करोड़ रुपये और बैंकों की ओर से 3000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। इस तरह छठी योजना में इस कार्यक्रम पर कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस पूंजी का बहुत छोटा हिस्सा ही कार्यक्रम को लागू करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा खड़ा करने और प्रशासनिक खर्च में लगाया जा सकेगा—क्रमश: 10 प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत। अनुसूचित जाति और जन जाति के और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों का चुनाव गांव के लोग खुद कर रहे हैं। यानी ग्राम सभा और पंचायतें इसमें प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। विकास के

बिहार में चर्खा से सूत कातना, एक अच्छा व्यवसाय है।

लिए चुने गए हर परिवार के पास "विकास पत्रिका" रहती है, जिसमें उन्हें दी गई हर तरह की सहायता का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाता है।

इस कार्यक्रम को सही गति देने के लिए बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका ध्यान में रखते हुए ही हाल में ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई है, जिसकी शाखाएं सभी जिलों में खोली गई हैं, ताकि ग्राम विकास की किसी भी योजना को लागू करने में आवश्यक ऋण मिलने में देरी या सुस्ती न हो।

उदाहरण के लिए इस बैंक ने जो परियोजनाएं बैंकों द्वारा सहायता के लिए स्वीकार की हैं, उनमें से एक है संकर नस्ल की गाय पालने के लिए ऋण की व्यवस्था। इसके अन्तर्गत प्रति बछड़े की दर से 2,250 रुपये तक मिल जाते हैं। इसे पांच साल या संभव होने पर बाद में भी लौटाया जा सकता है। भेड़ और सूअर पालने के लिए भी बैंकों से ऋण मिल सकता है। छोटे और सीमान्त किसानों, खेतिहर मजदूरों और भूमिहीनों के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि वे जानवर को खरीदते समय उसकी कीमत की 5 प्रतिशत राशि नकद चुकाएं। अच्छी नस्ल के पशु पालकर दूध का व्यवसाय करना किसी गांव में किस तरह खुशहाली ला सकता है, जिसका एक उदाहरण है राजस्थान के बीकानेर जिले का कुलू गांव। इस गांव में 150 परिवार हैं, जिनके पास 600 दुधारू गाय हैं। इनकी नस्ल सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का तरीका अपनाया गया, पौष्टिक चारे की व्यवस्था की गई और दूध की जांच और संग्रह के लिए सहकारी दुग्ध केन्द्र बनाया गया। गांव से हर रोज 2000 लिटर दूध इकट्ठा होता है, जिससे हर रोज 4000 रुपये की आमदनी होती है। अब इस गांव के लोग आसपास के पांच गांवों के साथ मिलकर दूध को ठंडा करके रखने के लिए ठंडा दूध गोदाम लगा रहे हैं, जहां हर रोज 10,000 लिटर दूध रखा जा सकेगा।

प्रधानमंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम के तीसरे सूत्र के अधीन समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक अपनाने से गांव-दर-गांव की तरह ही खुशहाली लायी जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। □

प्रधान संपादक "खेती"
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्राम्य विकास योजना में सहकारी ऋण

जितेन्द्र नाथ मल्होत्रा

समन्वित ग्राम विकास योजना अपने वर्तमान स्वरूप में 2 अक्तूबर 1980 से कार्यान्वित की जा रही है। योजना का प्रमुख उद्देश्य बेरोजगारी व अर्द्ध-बेरोजगारी को दूर करना एवं जनसंख्या के सबसे दरिद्र वर्ग के जीवन-स्तर में अभिलक्षित उन्नति लाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह संकल्पना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार की सुविधाएं सृजित की जाए ताकि उनके जीवन-स्तर को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सके। अर्द्ध-बेरोजगार सीमान्त एवं लघु कृषकों को कतिपय चयनित कार्यक्रमों द्वारा कुछ ऐसे सहायता पुंज (Package of assistance) देकर उनके जीवन में सुधार की परिकल्पना की गई है। समन्वित ग्राम्य विकास की नीति निम्न प्रकार है :—

1. प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास क्षेत्रों में से 600 लाभार्थियों का चयन करना है। इस प्रकार पूरे योजना काल में प्रति विकास क्षेत्र 3000 परिवार लाभान्वित होंगे।

2. चयन करने में निर्बलतम परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण न होगा 5 व्यक्तियों के परिवार पर 3500/– रु० वार्षिक से कम आय वर्ग को गरीबी रेखा से नीचे का वर्ग माना गया है।

3. लाभार्थी परिवार को ऋण एवं अनुदान द्वारा सहायता दी जाएगी। अनुदान की सीमाएं 25% से लेकर 50% तक हैं। ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से दिलाने की परिकल्पना की गई है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंक चिरकाल से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-वितरण का कार्य करते चले आ रहे हैं किन्तु समय समय पर उनके द्वारा ऋण वितरण की मदों में निरन्तर परिवर्तन होते रहे हैं। मास्टर प्लान योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 से नए आंवरियों को 30/– प्रति आंवरी के हिसाब से हिस्सा क्रय करने हेतु ऋण दिया जाने लगा। लघु विकास अभिकरण क्षेत्रों में लघु कृषकों को 80/– रु० तक मध्यकालीन ऋण दिया जाता था ताकि वह सदस्य बन सकें। इसी प्रकार केन्द्रीय योजना आयोग के सदस्य श्री बी० सिवारमन कमेटी की संस्तुति के आधार पर सहकारी समितियां 5 एकड़ तक के कृषक सदस्यों एवं खेतिहर मजदूरों को उपभोक्ता ऋण भी देने लगी थी जिसकी सीमाएं :—

(अ) जन्म के लिए 75/– से लेकर विवाह एवं चिकित्सा मृत्यु आदि के लिए 250/–रु० तक थी। कृषि—निवेशों के लिए भू० आंवरियों को 150/– रु० तक नगद तथा 125/– वस्तु के रूप में कुल 275/– रु० तक ऋण दिया जा सकता था। इस प्रकार समन्वित ग्राम्य विकास योजना लागू होने से पूर्व भी सहकारी समितियां निर्बल वर्गों को ऋण दे रही थी।

समन्वित ग्राम्य विकास योजना लागू होने के उपरान्त अब निर्बल वर्ग के लिए कुछ और ऋण सुविधाएं दी गई हैं :—

(क) सहकारी समितियों के सदस्य बनने के लिए लाभार्थियों को 80/– रु० तक का ब्याजरहित मध्यकालीन ऋण अंश क्रय करने हेतु दिया जाता है जिससे लाभार्थी सदस्य योजनान्तर्गत 1600/– रु० तक ऋण प्राप्त कर सकें।

(ख) सदस्यों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को अंशपूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार धनराशि लाभार्थी को मिलने वाले अनुदान में से अग्रिम के रूप में दिए जाने का प्रावधान है

(ग) योजनान्तर्गत आने वाले लाभार्थियों को सहकारी समितियों द्वारा अंशपूंजी का 20 गुना ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, लाभार्थियों को 3% अंशपूंजी जमा करवा कर दीर्घकालीन ऋण देता है जबकि अन्य कृषकों को 5% अंशधन जमा कराना पड़ता है यह ऋण अल्प सिचाई व कृषि यन्त्रों के लिए दिया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण सुविधाओं के अतिरिक्त अब सहकारी समितियों से मध्यकालीन ऋण बांटने का प्रावधान भी नवम्बर 81 से कर दिया गया है जिसे कम्पोजिट ऋण, की संज्ञा

दी गई है। यह ऋण उन लाभार्थियों एवं दस्तकारों को दिया जाएगा जिनको जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया है। कम्पोजिट ऋण के लिए 56 उद्योगों की सूची बनाई गई है जिसमें चर्म उद्योग से लेकर फुटकर व्यापार तक सम्मिलित हैं। इन ऋणों के वितरण से रोजगार ऋण में अभिवृद्धि होगी।

कम्पोजिट ऋण की अन्य शर्तें निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैं :—

1. कम्पोजिट ऋण की धनराशि प्रति परिवार 5000/– से अधिक न होगी। विशेष प्रयोजनों के लिए कम्पोजिट ऋण 5000/– से अधिक भी दिया जा सकता है परन्तु ऋण की अधिकतम सीमा 10,000/-रु० से अधिक न होगी।

2. सम्बन्धित अभ्यर्थी गांव में स्थायी रूप से निवास करता हो तथा उद्योग हेतु न केवल प्रशिक्षित ही किया गया हो वरन् उद्योग लगाने हेतु वास्तव में इच्छुक भी हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई हो व कच्चा माल स्थानीय रूप से मिलता हो व बाजार भी उपलब्ध हों।

3. अभ्यार्थी किसी अन्य औद्योगिक या बुनकर सहकारी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए।

4. उद्योग की स्थापना से अभ्यार्थी को इतनी आमदनी होगी कि वह आत्मनिर्भर हो जाएगा तथा अपने ऋण की अदायगी समय से करने में सक्षम होगा।

5. अभ्यार्थी को 1/– रु० का नाममात्रिक सदस्य बना लिया जाएगा तथा 1000/– रु० के ऋण पर 20/– रु० की धनराशि जमा करवा कर उस का बचत खाता खोला जाएगा। बचत खाते की धनराशि, अधिक ऋण की दशा में, इतनी अनुपात में बढ़ा ली जाएगी।

6. ऋण की स्वीकृति का अधिकार होगा 3000 रु० तक शाखा प्रबन्धक को, 5000 रु० तक सचिव को 5000 रु० से अधिक कार्य-कारिणी समिति को। 3000/– रु० की ऋण स्वीकृति दो सप्ताह में, 5000/– रु० तक की तीन सप्ताह में तथा 10,000 रु० तक की एक माह के अन्दर दी जाएगी।

7. ऋण सदस्य के निजी प्रोनोट तथा दो जमानतदारों की प्रतिभूति पर स्वीकृत किया जाएगा। ऋण में निर्मित कार्यशाला यन्त्र एवं अन्य स्टाक बैंक के पक्ष में बंधक किया जाएगा। ऋण का कुछ भाग नगद तथा अन्य भाग मशीन/उपकरण सप्लाई करने वाली फर्म को किया जाएगा। इस फर्म को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति स्वीकृत करेगी।

8. इन ऋणों पर 10.5% वार्षिक ब्याज लिया जाएगा। समय पर अदायगी करने पर 1% की ब्याज दर में छूट होगी। ऋण भुगतान से डेढ़ वर्ष के उपरान्त वसूली प्रारम्भ होगी।

9. कम्पोजिट ऋण 5 वर्ष के लिए होगा। एक वर्ष की अवधि की छूट के उपरान्त बाकी चार वर्षों में आठ छमाही किश्तों में पूर्ण ऋण वसूल किया जाएगा। किश्तें 1 अप्रैल तथा 1 अक्तूबर को वाजिब होंगी।

10. कम्पोजिट ऋण बैंक द्वारा अपने निजी संसाधनों से वितरीत किया जाएगा और इस के लिए रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध होगी। बैंक का ऋण इस मद में कुल निक्षेप के 5% अथवा दीर्घकालीन डिपाजिट के 15% से अधिक न होगी। प्रादेशिक सहकारी बैंक से संसाधन जुटाने हेतु 9% पर ऋण ले सकती है।

11. सहकारी बैंक द्वारा केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए ऋण दिया जाएगा जिनके लिए अनुदान की सुविधा एकीकृत ग्राम विकास योजना में उपलब्ध है। प्रार्थना पत्रों को एकत्र करना व ऋण वितरण करा लेना विकास क्षेत्र की जिम्मेदारी होगी।

12. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु व मानीटरिंग करने हेतु जिला स्तर पर एक समिति गठित की गई है जिसके सदस्य और अधिकारी ये होंगे :—

1. अतिरिक्त जिलाधिकारी-अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी, 2. जिला सहकारी निबन्धक-सदस्य 3. सचिव जिला सहकारी बैंक-सदस्य 4. सामान्य प्रबन्धक उद्योग केन्द्र—सदस्य

इस योजना को सफल बनाने के लिए नियमों को काफी उदार बना दिया गया है किन्तु बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सम्पुष्टि नहीं दी गई है। अनुमान के अनुसार प्रत्येक विकास क्षेत्र को प्रतिवर्ष 20 से 30 लाख रु० तक के ऋण की आवश्यकता होगी। यदि आधा भार भी सहकारी समितियों को वहन करना हो तो प्रति विकास क्षेत्र 10 से 15 लाख रु० प्रति वर्ष व प्रति बैंक लगभग 1 करोड़ रु० के अतिरिक्त धन की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। सहकारी बैंक इतनी बड़ी मात्रा में साख का सृजन द्रुत गति से कर सकेंगे इसमें सन्देह है। अतः रिर्जव बैंक को कुछ सीमा तक पुनर्वित की सुविधा सहकारी बैंकों को प्रदान करनी होगी। □

प्र०प्र०अ० सहकारिता
प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

कर्नाटक की भूमि परियोजना

एम० आर० गविरायप्पा
आकाशवाणी संवाददाता

कर्नाटक की शुष्क भूमि कृषि परियोजना में इधर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि राज्य की 103 लाख हक्टेयर भूमि का केवल 20 प्रतिशत भाग ही अब तक सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि कृषि उत्पादन का 80 प्रतिशत भाग शुष्क भूमि क्षेत्रों से प्राप्त करना होगा।

कई शताब्दियों से, शुष्क भूमि पर की जाने वाली खेती को समय-समय पर सूखा पड़ने, भूमि कटाव, उत्पादन में अस्थिरता, बेरोजगार, कम रोजगार जैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है जिससे आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति पैदा हो गई।

इन तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास किया है जिनका यदि खेती में उपयोग किया जाए तो इससे न केवल उत्पादन दुगुना होगा बल्कि कृषक सुख समुदाय की आय में वृद्धि भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

प्रदर्शन क्षेत्र

मैं अब दो उदाहरण पेश करता हूं। सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय उर्वरक और रसायन लिमिटेड ने हाल ही में राज्य कृषि विभाग के सहयोग से दो कृषि भूखण्डों पर प्रदर्शनात्मक प्रयोग किए। हसन जिले के वासवानपुरा गांव के एक स्थान पर 21 हैक्टेयर भूमि में 33 किसानों ने इस परियोजना के अन्तर्गत खेती की तथा इन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके उन्होंने रागी की फसल उगाई। जब फसल की कटाई की गई तो उपज 2.5 गुना अधिक पाई गई। वस्तुतः उत्पादकता 7.5 क्विंटल प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हो गई।

इसी प्रकार चिकमंगलूर जिले में वन्दीकोपाल नामक एक दूसरे स्थान पर 40 हैक्टेयर भूमि के क्षेत्र में 53 किसानों ने ज्वार की फसल उगाई। कटाई के पश्चात् यह देखा गया कि उत्पादकता 10 क्विंटल से बढ़कर 20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हो गई थी। दोनों प्रयोगों में लागत का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि 12,000 रु० का अतिरिक्त निवेश लगाने से किसानों को 49,000 रु० की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। इस तरह लागत और आय का अनुपात 1:4 रहा। इन परिणामों के फलस्वरूप राज्य में इस नई तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिये बड़े पैमाने पर प्रयास जारी हैं। राज्य के 175 तालुकों में से 85 तालुके इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए चुने गए हैं। इन क्षेत्रों का चयन औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर किया गया है जो 750 मि० मी० से भी कम है। केन्द्र ने राज्य को 6 करोड़ रु० की सहायता की स्वीकृति दी है। यह राशि वित्तीय दृष्टि से कमजोर 950 सहकारी समितियों को उर्वरक का कारोबार करने के लिए बांटी गई है जिससे कि जरूरत मन्द कृषकों को उर्वरक उनके घर पर ही सप्लाई किया जा सके। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम कृषकों को आवश्यक ऋण देने पर सहमत हो गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से सम्बद्ध जिला, तालुका और अंचल स्तर के सभी क्षेत्र अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण दिया गया है। क्षेत्रीय कर्मचारियों ने शुष्क भूमि पर कृषि करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने व आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कृषकों और निवेश एजेंसियों के साथ कई बैठकें की हैं। इस परियोजना में प्रदर्शन भूखण्डों पर विशेष बल दिया गया है चुने हुए 85 तालुकों में इन भूखण्डों का क्षेत्रफल 500 हैक्टेयर है। कृषकों को विकसित कृषि औजार रियायती लागत में उपलब्ध होंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कृषकों के लिए रियायती दर 100 प्रतिशत सीमान्त और छोटे किसानों के लिए 50 प्रतिशत और अन्य किसानों के लिये 25 प्रतिशत है।

आकाशवाणी की भूमिका

शुष्क भूमि कृषि तकनीक को लोकप्रिय बनाने में आकाशवाणी की भूमिका का जिक्र करना असंगत नहीं होगा। बंगलौर केन्द्र ने न केवल कृषि विभाग से बल्कि कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बीज निगमों, उर्वरक एजेंसियों और ऋण संस्थानों से विशेषज्ञों को बुलाकर इस विषय पर वार्ता प्रसारित की जाती हैं। राज्य के कृषि विभाग ने सभी प्रसारित वार्ताओं को संकलित करके स्थानीय भाषा में 18 हजार पुस्तकें कृषकों में मुफ्त बांटने के लिए तैयार की हैं। इन कार्यक्रमों को सुनने वाले कृषकों की संख्या लगभग 15,000 है। अब चूंकि शुष्क भूमि पर खेती के बारे में वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं, अतः अब तालुका स्तर पर उनके लिए इन पाठों के आधार पर एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षण में सफलता प्राप्त करने वाले कृषकों को उर्वरक तथा अन्य उपयोगी निवेश के रूप में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने राज्य कृषि निदेशक को दिए अपने सन्देश में आकाशवाणी और राज्य कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए शुष्क भूमि पर खेती करने के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के संयुक्त प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की है। कृषि उत्पादन में वृद्धि को प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम में प्राथमिकता दी गई है। □

तमिलनाडु में

ग्रामीण जीवन का कायापलट

तमिलनाडु के उत्तरी आकोट जिले में, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उल्लेखनीय कार्य के फलस्वरूप, ग्रामीण जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यहां के किसान भी नई पद्धतियां अपनाने और राष्ट्रीकृत बैंकों के सहयोग का लाभ उठाने के लिए उत्सुक हैं।

इस क्षेत्र के उदीयमान नए किसान कतपडी के बाल कृष्णन इस प्रगति के नये उदाहरण हैं। वह अपने छोटे से खेत में धान और गन्ना उगाया करते थे। मौसम के अनिश्चित व्यवहार से अच्छी खेती के रास्ते में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती थीं। इनका सामना करने के लिए उन्होंने कुछ नया काम करने का फैसला किया।

उन्होंने इण्डियन बैंक की एक स्थानीय शाखा से 3,000 रुपये का ऋण लिया और अपने खेत के एक भाग में रेशम के कीड़े प्राप्त करने के लिए शहतूत का बाग लगा दिया। प्रथम तीन महीनों में ही 45 रु. प्रति कि.ग्रा.की दर से 50 कि. ग्रा. बिक्री के लिए उपयुक्त कृषिकोष उनके पास हो गया। विख्यात सिल्क उत्पादन केन्द्र अर्नी निकट ही था। बालकृष्णन के उत्पाद की मांग तेजी से बढ़ने लगी। अब वह एक वर्ष में पांच फसलें प्राप्त करते हैं। वह नियमित रूप से ऋण का भुगतान कर रहे हैं तथा अब और अधिक क्षेत्र में शहतूत का बाग लगाने पर विचार कर रहे हैं।

मचनूर गांव के कुप्पुस्वामी को भी इंडियन बैंक से प्राप्त ऋण और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की आर्थिक सहायता के फलस्वरूप काफी लाभ हुआ है। उसने प्राप्त धन की सहायता से सिंचाई हेतु एक कुंआ खोदा और बैल खरीदे। यद्यपि कुप्पुस्वामी अब जीवित नहीं है फिर भी उनका परिवार सम्पन्न है क्योंकि उसका दो एकड़ का सिंचित खेत अब उसकी आय का नियमित स्रोत है।

बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उसी गांव में 50 किसानों को दूध उत्पादकों की सहकारी समिति बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी। दुधारू पशुओं की व्यवस्था बैंक द्वारा ही की गई थी। यह समिति सफल सिद्ध हुई। यह अब न केवल ऋण वापस लौटाने में ही सक्षम है अपितु यह समुचित लाभ और बोनस भी सदस्यों को देती है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, इन बैंकों के माध्यम से, समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया। शेनबक्कम गांव के अनुसूचित जाति के निवासियों को आन्ध्र बैंक ने दुधारू पशुओं की खरीद के लिए 80,000 रुपये वितरित किए। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के रूप में पशुओं की लागत का आधा भाग दिया गया।

इस योजना से लगभग 32 परिवारों को लाभ हुआ और उनमें से अधिकांश परिवारों ने रिकार्ड समय के भीतर ऋण का भुगतान भी कर दिया।

उत्तरी आकोट के नासेल गांव का एक निवासी, कोटेश्वरन पोलियो से ग्रस्त है। उसने स्थानीय पंचायत की मदद से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता और ऋण प्राप्त करके पांच साइकिलें खरीदीं और उनको किराये पर देने का व्यवसाय आरम्भ कर दिया। इसके लिए निश्चय ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और बैंक को धन्यवाद देना चाहिए कि अब गांव के लगभग 200 व्यक्ति इस प्रकार के विभिन्न छोटे-छोटे धन्धों द्वारा आजीविका कमा सकते हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा, भेड़ पालन इस क्षेत्र में किया गया एक अन्य नया प्रयास है। मचनूर गांव का चिन्नास्वामी एक भूमिहीन श्रमिक था। उसका परिवार काफी बड़ा था। इंडियन बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उसे भेड़ों की एक यूनिट चलाने के लिए ऋण दिया। उसने उस धन से 20 भेड़ें और एक भेड़ा खरीदा। इस प्रकार उसकी वार्षिक आय में एक हजार रुपये तक की वृद्धि हो गयी।

अब काफी संख्या में लोग इस प्रकार की भेड़ पालन इकाइयां खोलने के लिए आगे आ रहे हैं। □

कृषि-विकास की दिशा में मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम

अमिताभ शुक्ल

मध्य प्रदेश भारत के हृदय में बसा हुआ राज्य है 4,52,376 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत क्षेत्रफल की दृष्टि से दश के सबसे बड़े इस राज्य में पांच करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार लोग रहते हैं, यह आबादी देश की कुल जनसंख्या का 7.62 प्रतिशत है । प्रदेश की कुल आबादी में से चार करोड़ पन्द्रह लाख जनसंख्या गांवों में निवास करती है, अतः इस विशाल जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की समस्या एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। तथापि देश का सबसे बड़ा व अधिक उत्पादन क्षमता वाला यह प्रदेश कृषि उत्पादन में वांछित उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सका है ।

कृषि विकास, विकास का मूलाधार है । कृषि उत्पादन में पर्याप्त प्रगति लाने के लिए मध्य प्रदेश में विगत वर्षों में कृषि हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध किए जाने की दिशा में विशेष प्रयत्न हुए हैं :—

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 75–125 सेन्टीमीटर होती है, जो कि सामान्यतः सभी खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए पर्याप्त कही जा सकती है । लेकिन वर्षा की असमानता एवं मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता रहता है। इस कारण सिंचाई की स्थायी व्यवस्था आवश्यक हो जाती है। विगत वर्ष में 114 लघु एवं 16 मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा किया गया । इस वर्ष दस मध्यम तथा 175 योजनाओं को पूर्ण किया जाना है। 198 नई योजनाओं को इस वर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। कम्पोजिट प्रोजेक्ट जिसके अन्तर्गत हसदेव बांगो व माही जलाशय की दो वृहद् परियोजनाओं तथा 30 मध्यम योजनाएं शामिल हैं, के लिए विश्व बैंक से क्रमशः 140 तथा 220 मिलियन डालर का कर्ज प्राप्त किया गया है। सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए किए गए इन प्रयासों के फलस्वरूप पिछले दो सालों में लगभग 356 करोड़ रुपयों की लागत से 3.25 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण हो सका है। लघु सिंचाई तथा भूमि एवं जल संरक्षण योजना के अन्तर्गत एक लाख तीस हजार नए कुएं खोदे गए । सिंचाई योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के उद्देश्य से 100 एकड़ से कम क्षेत्र में सिंचाई तालाब के निर्माण का अधिकतर कृषि विभाग तथा 200–250 एकड़ क्षमता वाली योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार जिलाधीशों एवं संभागायुक्तों को दिया गया है, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में नई योजनाएं प्रारम्भ हो सकी हैं ।

बीज-खाद वितरण

कृषि उत्पादन में सुधार के नए उत्तम बीज तथा सुरक्षा के लिए फसलों का नुकसान से बचाना आवश्यक होता है बीज वितरण के साथ ही किसानों को लगभग 18 करोड़ रुपये की तकावी भी इस हेतु दी गई। गत दो सालों में 4.32 लाख टन खाद का वितरण भी किया गया सन् 1980–81 में 109.57 लाख रुपये की सामग्री अनुदान सूखा प्रभावित 15 जिलों में एक फसल हेतु दिया गया। इन्हीं वर्षों में 47.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कीड़ा उपचार, फसल उपचार, नींदा नियंत्रण और चूहा नियंत्रण कार्यक्रम संपन्न किए गए ।

कीटनाशक छिड़काव के लिए सामान्य किसानों को 250 रुपये तथा आदिवासी किसानों को 400 रुपये की राशि का अनुदान हस्तचालित संयंत्रों के लिए देना भी प्रारम्भ किया गया । विशेष प्रभावित क्षेत्रों को संक्रामक क्षेत्र घोषित करना, हवाई छिड़काव करना आदि नए कार्यक्रम भी इस अवधि में शुरू किए गए ।

तिलहन, दलहन उत्पादन विकास कार्यक्रम :—तिलहन के अन्तर्गत आने वाली फसलों सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, तिल, राई, सरसों, आदि के नुकसान के लिए पिछले सालों में विशेष प्रयत्न किए गए। वर्ष 1980–81 में इनके उत्पादन क्रमशः 3.50, 2.02, 1.22, 0.36 एवं 1.40 लाख टन के मुकाबले 1981–82 में उत्पादन क्रमशः 5, 2.53, 1.50, 0.38 एवं 1.60 लाख टन रहा ।

राज्य में सोयाबीन की खेती एवं पैदावार के निरन्तर बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश सोयाबीन राज्य कहलाने लगा है। भारत सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपये की लागत से सोयाबीन उत्पादन की पांच साला योजना स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत 1985–86 के अन्त तक 18 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में विस्तार और 14.50 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । पांच सोयाबीन संयंत्रों की प्रस्तावाधीन योजना में से एक पर होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में 9 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

देश के कुल दलहन उत्पादन का 18.20 प्रतिशत उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश एक प्रमुख राज्य है। सन् 1980–81 व 1981–82 के 20.22 व 22.50

लाख टन के मुकाबले 1982–83 में 25 लाख टन दलहन के उत्पादन का अनुमान है ।

विशेष प्रोत्साहन अनुदान

भारतीय कृषि मूल्य आयोग द्वारा कृषि उपजों के न्यूनतम मूल्य-निर्धारण के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन हेतु अतिरिक्त राशि विगत दो वर्षों में किसानों को दी गई ।

धान, गन्ना, ज्वार, के निर्धारित मूल्यों से अधिक राशि किसानों को प्रदान की गई, 1981–82 में यह राशि प्रति क्विंटल पर क्रमशः 2 रुपये से लेकर 10 रुपये, ढ़ाई रुपये, पाँच रुपये तथा 1981-82 में धान पर सात रुपये तथा ज्वार पर पांच रुपये अधिक रही ।

उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग हेतु वर्ष 1981–82 के बीच खाद यंत्र के लिए चार लाख रुपये का अनुदान किसानों को दिया गया ।

कृषि अनुसंधान कार्यक्रम :—उत्पादन वृद्धि के लिए नवीन अनुसंधान कार्यों का लाभ खेतों तक पहुंच सके, इसके लिए प्रदेश के 16 जिलों में सघन कृषि विस्तार एवं अनुसंधान योजना प्रारम्भ की गई है ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि :—कृषि विकास हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि लक्षित हुई है। वर्ष 1980–81 में 120.85 लाख टन अनाज पैदा हुआ, तथा 1981–82 में 123.50 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। यह विगत उत्पादन से 2.36 प्रतिशत अधिक होगा। सन् 1982–83 के लिए जो पिछले 30 लाख टन अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 5.26 प्रतिशत अधिक है ।

इस प्रकार, कृषि हेतु आवश्यक सुविधाओं के विस्तार, द्वारा मध्य प्रदेश, कृषि उत्पादन के उल्लेखनीय लक्ष्य तथा किसानों का जीवन-स्तर में सुधार की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है । □

देशबन्धुपुरा,
इटारसी (म० प्र०) 461-11

लघु कथा

ईर्ष्या

राजेन्द्र परदेसी

रोज की तरह खेत से लौटते समय शाम को मंगरुवा ठाकुर भूला सिंह की हवेली की ओर चला गया । दालान में पैर रखते ही पांव लागी बोला और चिलम की आग सुलगाने लगा जो अब बुझने लगी थी । फिर धीमी आवाज में बोला "सरकार ! आपने कुछ सुना ?"

"क्या बात है ?" ठाकुर शायद अर्द्धनिद्रा में थे । गांधी साहित्य सिरहाने से उठाकर टेबुल पर रख दिया और आंख मलने लगे ।

मंगरुवा ने तुरन्त पांव पकड़ लिया और दबाते हुए पहुंचा पकड़ने की कोशिश की ।

"रतनवा दो हजार की जोड़ी ले आया है सरकार !" मंगरुवा ने बात शुरु की ।

"कहां से लाया है ?" ठाकुर ने करवट बदली ।

"सुन्दरवा कमाने लगा है न ।"

"कहां ?"

"सुना है । कलकत्ता में कहीं काम करता है । हर महीने बाप के पास दो सौ रुपये भेजता है ।"

ठाकुर की आंख फैल गयी । फिर इत्मीनान की मुद्रा में बोले—"रतनवा ने बड़ी तकलीफ से बेटे को पढ़ाया । चलो अच्छा हुआ, कम से कम बाप का सहारा तो हुआ ।"

रतनवा के बेटे की प्रशंसा मंगरुवा को अच्छी न लगी । किसी का पट्टीदार आगे बढ़ जाए और उसे यह अच्छा लगे असंभव । बोला, "सरकार, यह तो आपकी कृपा थी जो आपने गाहे-बेगाहे उसकी मदद की । नहीं तो गांव में कितने लड़के पढ़े हैं..... । कौन साहब हो गया ।"

"सो तो है ।" ठाकुर ने मात्र हुंकारी भरी ।

"लेकिन सरकार, एहसान मानने को कौन कहे रतनवा तो उल्टे आपकी पगड़ी उछालते चल रहा है ।"

मंगरुवा की बात सुनकर ठाकुर चौंक पड़े बोले, "क्यों रे ! क्या बात है ?"

निशाना ठीक जानकर मंगरुवा बोला, "सरकार ! क्या करियेगा जानकर ? अच्छी बात होतो बताऊं भी ।"

ठाकुर की जिज्ञासा सच्चाई जानने के लिए बढ़ गयी । जोर देकर बोले, "बोलता क्यों नहीं ?"

"सरकार, आप कह रहे हैं, तो बताता हूं । रतनवा एक दिन कह रहा था कि ठाकुर साहब की ताड़ी वाली जमीन लेने को सोच रहा हूं । उसमें एक पक्का मकान बनवा लूं । झोंपड़ी गिर गयी है । ठीक कराने से अच्छा है कि कहीं दो पक्के कमरे बना लिए जाएं । उसकी बातों से बहुत गुस्सा आया कि चार पैसे क्या हो गए सबकी जमीन ही खरीदने लगा । भूल गया सरकार, जब आपके यहां चरवाही करता था ।"

ठाकुर को याद आया—चार दिन पहले ही तो रतनवा बेटे के साथ उनके पास आया था । बेटे को कैसे डांट रहा था — "चार अक्षर पढ़ क्या लिया बड़े-बूढ़ों की इज्जत करना भूल गया । चल जल्दी बाबा को प्रणाम कर ।" लड़के ने तुरन्त पैर छूकर प्रणाम किया और संकोच से एक किनारे खड़ा हो गया था । उन्होंने मंगरुवा को कहते सुना— "सरकार ! रतनवा की बात सोच रहे हैं क्या ? जाने दीजिए, दूसरा कोई होता तो उसकी जुबान खिंचवा लेता । आप तो देवता हैं जो सुनकर भी टाल देते हैं ।"

"नहीं, ऐसी बात नहीं । मैं सोच रहा हूं कि क्यों न कल शहर जाकर ताड़ी वाली जमीन रतनवा के नाम रजिस्ट्री कर दूं । बेचारे बाप-बेटा चार दिन पहले आकर कितना अनुरोध कर रहे थे । ऐसा कर कि तू ही जाकर उसे बता दे । कल सवेरे तैयार होकर मेरे पास आ जाएं ।"

ठाकुर की बात सुनकर मंगरुवा को लगा, जैसे उस पर घड़ों पानी पड़ गया हो । अपने को छुपाने के लिए अंधेरे में खो गया ।□

सहायक अभियन्ता
निकट त्रिपाठी चित्र मंदिर
गाँधीनगर, बस्ती (उ० प्र०)

ग्रामीण समुदायों का राजनैतिक ढांचा

डा० जगदीश सिंह राठौर

आधुनिक भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, पंचायती राज की स्थापना, वयस्क मताधिकार, संचार एवं संवाहन के विकसित साधनों, सहकारिता आन्दोलन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, शिक्षा के बढ़ते हुए प्रसार एवं महत्व, विभिन्न राजनैतिक दलों का विकास, राजनैतिक जागरूकता, गांव से बाहर व्यवसाय के अवसरों, गांव एवं नगर के बीच बढ़ते हुए सम्पर्क आदि कारकों ने गांवों में एक नवीन सामाजार्थिक परिवेश को जन्म दिया है। इन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं प्रौद्योगिकीय नवाचारों के फलस्वरूप ग्रामीण समुदायों की परम्परात्मक सत्ता व्यवस्था भी क्रांतिकारी परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजर रही है। पहले नेतृत्व जाति, नातेदारी, उत्तराधिकार, आयु, सम्पत्ति आदि पारम्परिक प्रतिमानों पर आधारित था किन्तु आज यह शिक्षा, समाजसेवा, राजनैतिक सम्बद्धता आदि आधुनिक प्रतिमानों की ओर अग्रसर हो रहा है। नेताओं की जीवन दृष्टि एवं मूल्य भी आधुनिकीकरण, राजनीतिकरण एवं लोकतंत्रीकरण की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। इस संबंध में पंचायती राज की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रही है।

चूंकि पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है अतएव ग्रामीण जीवन के किसी भी अध्येता के लिए यह जानना नितान्त आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है कि इस नवीन परीक्षण का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस सम्बन्ध में देश के विभिन्न राज्यों में अनेक अनुसंधानात्मक अध्ययन किए जा चुके हैं। हयू ग्रे द्वारा आन्ध्र प्रदेश में पंचायती राज के अनुभवाश्रित अध्ययन की उपलब्धियों से अवगत होता है कि पंचायती राज ने राजनीति को ग्राम स्तर तक ला दिया है और शासन एवं सरकार को बोधगम्य बना दिया है तथा लोगों में राजनैतिक जागरूकता एवं चुनावों के प्रति अभिरुचि में तीव्र गति से अभिवृद्धि हो रही है। वे मतदान की शक्ति को पहचान रहे हैं तथा सामाजिक आयोजन के महत्त्व को समझ रहे हैं। के. डी. गांग्रेड ने अपने अध्ययन में पाया कि गांव पंचायतें स्थानीय समाजार्थिक विकास के एक नियंत्रित साधन तथा ग्रामीण समुदायों के राजनैतिक सामाजीकरण के अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। के. सी. पन्चान्दीकर एवं श्रीमती जे. एन. पंचान्दीकर द्वारा बड़ौदा के पास किए गए एक अनुभवपरक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज के सूत्रपात ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि नेता बनने के लिए अब एक जाति के स्थान पर अधिक जातियों के सहयोग की आवश्यकता प्रबल हो गई है। एन. आर. इनामदार द्वारा महाराष्ट्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अधिकांश नेताओं का रुख अब सामाजिक सद्भावना एवं प्रगति की ओर है। भटनागर के अनुसंधान से यह तथ्य प्रकट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था के फलस्वरूप गांव वाले मताधिकार एवं शक्ति के प्रति सचेत हो गए हैं। जिसके कारण परम्परागत अभिजात वर्ग का राजनैतिक प्रभुत्व कम हुआ है। ए. ए. डाक्टर ने भी अपने अध्ययन में पाया कि पंचायती राज की स्थापना ने नवीन मूल्यों के उभरने में योगदान दिया है, सामाजिक दूरी को कम किया है तथा राजनैतिक जागरूकता में अभिवृद्धि की है। रंगनाथ के अध्ययन से भी स्पष्ट होता है कि पंचायती राज की स्थापना से गांव की परम्परागत शक्ति संरचना में परिवर्तन आया है।

उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव राजनैतिक संरचना पर पड़ा है। इसने ग्रामीण समुदायों में नई संरचना को जन्म दिया है, परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में राजनैतिक चेतना एवं लोकतन्त्रीकरण की भावना जाग्रत हुई है। स्थानीय नेता धीरे-धीरे उच्च स्तर पर अपने राजनैतिक गठबन्धन स्थापित कर रहे हैं। इन गठबन्धनों का आधार वैचारिक सहबन्ध नहीं है अपितु राजनैतिक सहायता प्राप्त करना है। एच. एन. लक्ष्मीनारायण के अनुसार ये शक्ति गुट (गठबन्धन) विश्वबंधुत्व में विश्वास करते हैं तथा परिवार जाति और धर्म के बंधनों से मुक्त हैं। इस प्रकार आज शक्ति व्यवस्था में जाति, परिवार एवं नातेदारी के स्थान पर व्यक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। दूसरे शब्दों में शक्ति एवं सत्ता प्रदत्त के स्थान अर्जित बन गई है। आज नेता बनने के लिए एक व्यक्ति को उच्च जातीय सदस्यता तथा आर्थिक सम्पन्नता की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि संख्यात्मक राजनैतिक शक्ति को एकत्रित करने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप आज नेतृत्व उच्च जातियों से अन्य जातियों, उच्च आर्थिक वर्ग से मध्यम एवं निम्न वर्गों, तथा उच्च आयु वर्ग से युवा वर्ग की ओर अग्रसर हो रहा है।

प्रस्तुत लेख, जो लेखक के आगरा विश्वविद्यालय आगरा में रिसर्च डिग्री के

लिए स्वीकृत (1978) शोध प्रबन्ध पर आधारित है, में यह देखने का प्रयास किया गया है कि द्रुतगति से परिवर्तित हो रही ग्रामीण संरचना की वर्तमान स्थिति क्या है, लोग नेता का चुनाव किस आधार पर करते हैं, एक सफल नेता के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण गुण कौन-कौन से हैं तथा नेता के चयन में लोग गुटबन्दी से कहां तक प्रभावित होते हैं ।

नेताओं के चयन के आधार

ग्रामीण समुदायों में नेताओं के चुनाव के आधारों को जानने के लिए अनुयायियों से पूछा गया कि उनके विचार में नेतृत्व किस आधार पर मिलना चाहिए । उनके प्रत्युत्तरों से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश अनुयायियों ने नेताओं के चयन का प्रमुख प्रतिमान समाज सेवा को स्वीकार किया है अर्थात् क्षेत्र विशेष में जो व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक भूमिका अदा करता है उसी को लोग अपना नेता चुनना पसन्द करते हैं । डा. बैजनाथ सिंह के अनुसार भी नेतृत्व उनसे, जिन्होंने अधिकार एवं शक्ति पर कब्जा कर रखा था, उनमें चला गया है जिन्होंने कुछ समय समुदाय की सेवा करने में लगाया है । रेड्डी तथा शेषाद्रि ने भी पाया कि मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक ग्रामीण कल्याण है । अब्राहम, सहाय एवं चटर्जी आदि विद्वानों की गवेषणात्मक उपलब्धियां भी इसी तथ्य की पुष्टि करती हैं । इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम रूथनास्वामी के शब्दों को दोहरा सकते हैं कि "लोकतंत्र के अन्तर्गत सेवा नेतृत्व का पारपत्र है ।"

अनुयायियों की दृष्टि में नेता के चुनाव में समाज सेवा के पश्चात् दूसरा महत्त्वपूर्ण कारक शैक्षिक योग्यता को माना गया है । अधिकांश सूचनादाताओं का दृष्टिकोण है कि वही व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं को सम्पादित करने में अधिक दक्ष हो सकता है जो कि सुशिक्षित हो क्योंकि सेवा कार्य के लिए शिक्षा के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । शिक्षा के बढ़ते हुए महत्व के कारण ही, सम्भवतः, अध्ययन के अन्तर्गत यह भी देखने में आया कि नेता के चुनाव में उच्च आयु का होना भी अब उतना महत्त्वपूर्ण नहीं रह गया है जितना कि पहले था । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में नेता का चुनाव परम्परागत प्रतिमानों से हटकर आधुनिक एवं लोकतांत्रिक प्रतिमानों की ओर अग्रसर हो रहा है ।

नेता के लिए वांछित गुण

यह ज्ञात करने पर कि एक अच्छे एवं सफल नेता के लिए कौन-कौन से महत्त्वपूर्ण गुण होने आवश्यक हैं अधिकांश सूचनादाताओं ने प्राथमिकता के आधार पर क्रमशः समाजसेवा, शिक्षा, ईमानदारी, राजनैतिक ज्ञान, धर्म निरपेक्षता आदि गुणों को महत्त्वपूर्ण बताया । समाजसेवा को यहां भी सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया गया क्योंकि एक सफल नेता के जीवन में समाज सेवा ही एक ऐसा सफल कार्यक्रम है जो व्यक्ति को संकुचित जीवन परिधि से निकालकर विस्तृत परिधि में प्रवेश कराने में सहायक होता है, उसके जन सम्पर्क के जाल को विस्तृत करता है, सामान्य लोगों के जीवन में एकलय होने का अवसर देता है, अनुयायियों के हृदय पर अपनी छाप छोड़ता है और उसके नेता बनने के लिए एक परिवेश तैयार करता है । इसके पश्चात् शैक्षिक योग्यता को महत्ता दी गई है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति में शालीनता, व्यवहार कुशलता, जीवन की समस्याओं के प्रति व्यापक दृष्टिकोण सहिष्णुता की भावना आदि उन सभी गुणों को विकसित करने में सहायक होती है जो कि एक सफल नेता के लिए आवश्यक होते हैं ।

उपर्युक्त तथ्य के सम्बन्ध में एक अन्य प्रश्न सूचनादाताओं से ज्ञात किया गया कि उन्होंने नेता के चुनाव के लिए मतदान करते समय पिछले चुनाव में व्यवहारिक रूप से इन गुणों को कहां तक स्वीकार किया है । इस सम्बन्ध में अधिकांश अनुयायियों ने बताया कि उन्होंने सामाजिक कल्याण के कार्यों में सक्रिय योगदान, शैक्षिक योग्यता, राजनैतिक दल से सम्बन्ध तथा इस क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तित्व आदि आधारों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया था ।

गुटबंदी

नेता अनुयायियों के परस्पर अन्तर्सम्बंधों के सन्दर्भ में गुटबन्दी की स्थिति ज्ञात करने पर स्पष्ट हुआ कि अधिकांश सूचनादाता (62.72%) गांव में गुटबन्दी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते । इसके साथ-साथ यह पूछे जाने पर कि क्या गुटबन्दी गांव के लिए कल्याणकारी है समष्टि के समस्त सूचनादाताओं ने इसे कल्याणकारी मानने से असहमति प्रकट की । इनका ऐसा विश्वास है कि गुटबन्दी सामुदायिक विकास का नकारात्मक पक्ष है ।

पूर्ण विश्लेषण के प्रकाश में कहा जा सकता है कि आज ग्रामीण समुदायों में नेता के चुनाव के आधारों में जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति आदि परम्परागत आधार समाप्त होते जा रहे हैं और उनके स्थान पर समाज सेवा, शिक्षा, ईमानदारी आदि आधुनिक एवं लोकतांत्रिक आधार अधिक महत्त्वपूर्ण हो रहे हैं । इसका प्रमुख कारण लोकतांत्रिक शासन एवं पंचायती राज की स्थापना तथा लोकतांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों का प्रचलन कहा जा सकता है । जनता में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचलन के कारण परम्परात्मत आधार स्वतः ही समाप्त होते जा रहे हैं । अध्ययन के अंतर्गत नेतृत्व लोकतान्त्रिक बनाम प्रभुत्व सम्पन्न नेतृत्व नामक मापक से भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादाताओं (78.74%) ने लोकतांत्रिक नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया है । इस प्रकार आज ग्रामीण समुदायों में नेता के चुनाव के लिए लोकतांत्रिक आधार और फलस्वरूप लोकतांत्रिक नेतृत्व सशक्त हो रहा है अर्थात् ग्रामीण राजनीति लोकतांत्रिक प्रतिमान की ओर अग्रसर है। □

डा. जगदीश सिंह राठौर

अध्यक्ष, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग
गुलाब सिंह हिन्दू कालेज, चांदपुर-स्याऊ
बिजनौर । (उ.प्र.)

किसान की धरोहर
खेती और पशुधन

अपर्णा उपाध्याय 'मम्मू'

गांवों में भी बड़े-बड़े अजीब और धुन के धनी लोग मिल जाते हैं। लालू चचा भी ऐसे ही जीव हैं। उन्होंने न सिर्फ भारत के बल्कि दुनियाभर के कृषि संबंधी तथ्य और चित्र आदि इकट्ठे कर रखे हैं। पिछली बार जब में गांव गयी तो उनका अद्भुत "संग्रहालय, जो सिर्फ एक कोठरी में रखे तीन-चार सन्दूकों में बन्द है, देखने का अवसर प्राप्त कर सकी।

मगर पहल की खुद लालू चचा ने। देखते ही बोले, "लाली! मुझे तो यह जानकर बड़ा अचम्भा होता है कि अन्न की कमी है। बढ़ती हुई आबादी के लिए और भी ज्यादा अनाज चाहिए, मगर हमारी जमीन खाली पड़ी है।"

"कहां खाली है चचा? मुझे तो गांव में चारों ओर खेत ही खेत दिखाई पड़ते हैं।" मैंने उत्तर दिया।

"अब यही तो मुश्किल है", कहते हीं चचा एक चारपाई को बिछाने में लग गए और बोले, "लो बैठो और सुनों। तुम पढ़ी-लिखी हो, समझ सकती हो, इसलिए सुना रहा हूं। अरे लाली मैं अपने गांव की बात नहीं कह रहा सारी दुनिया की बात कह रहा हूं। मालूम है, इस दुनिया की सारी धरती में से केवल 21 प्रतिशत जमीन ऐसी है, जिस पर खेती की जा सकती है—बाकी सब पहाड़, समुद्र और पानी से लदी हुई है। वहां खेती हो ही नहीं सकती।"

"वह कैसे?" मैंने प्रश्न कर दिया। सोचा, अब चचा जान आसानी से अपनी कह लेंगे। उन्हें जरा सा सहारा चाहिए। गांव में अच्छा श्रोता उन्हें मिलता ही कहां होगा।

चचा जम कर बैठ गए और ढ़ेर सारे कागज-पत्र खोल डाले—"अरे लाली, यह सब परखी हुई बातें हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह 21 प्रतिशत जमीन भी पूरी की पूरी खेती के काम नहीं आ रही है। इसका भी सिर्फ एक तिहाई भाग फसल उगाने के काम आता है। बाकी पर शहर-गांव बसे हैं या खाली पड़ी है। यानी कहना चाहिए कि हमारी सारी धरती का जितना धरातल है। उसके 7.6 प्रतिशत भाग पर ही खेती की जा रही है। बाकी काफी सारी जमीन अभी भी खाली पड़ी है, वहां खेती की जानी चाहिए।"

"फिर भी चचा। हमारे देश में तो बड़े बड़े फार्म बने हैं। शायद दुनिया के सबसे बड़े-बड़े फार्म हमारे यहां हैं—पंजाब के खेत, गंगानगर, पन्तनगर, के फार्म" मैंने जोड़ दिया।

"अरे, न, नहीं। सबसे बड़ा फार्म तो खैर रूस में है। वहां लोगों के जो मिलेजुले कृषि फार्म हैं उनमें से 60 हजार एकड़ (25,000 हैक्टेयर) तक जमीन है। ऐसे ही ब्राजील में एक फार्म है—माटो ग्रोसो—में 3358 मील यानी 8700 कि० मी० लम्बा है। इसका मालिक था लोसीडो कोइल्ही। उसने 31 लाख एकड़ में अपना फार्म बनाया था। सन् 1975 में उसकी मृत्यु हुई, उस समय उसके फार्म में ढ़ाई लाख तो पशु थे।" चचा ने एक चित्र मुझे दिखाना शुरू किया।

"तो चचा, ब्राजील का यह फार्म पशुओं का भी सबसे बड़ा फार्म है क्या?"

"नहीं लाली, पशुओं का सबसे बड़ा फार्म है आस्ट्रेलिया में—यह देखो—अलेक्जेंड्रिया यहां राबर्ट कोलिन्स का यह फार्म है। दुनिया में सबसे बड़ा 30 लाख हैक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। यानी 72 लाख एकड़ जमीन पर था। मगर अब तो यह साढ़े छः हजार यानी 16,835 किलो मीटर में फैला हुआ है। दुनिया में इससे बड़ा पशु फार्म अन्यत्र नहीं है। इसमें 60 हजार तो सिर्फ गायें हैं—छोटे सींगों वाली। लो देखो। ध्यान से" कहकर चचा ने कई फोटो मुझे थमा दिए।

"चचा, मैंने तो सुना है कि भेड़ फार्म के बारे में आस्ट्रेलिया सबसे आगे है।" "भारत सरकार ने किसानों का दल आस्ट्रेलिया भ्रमण पर भेजा था। न जाने किस मेहरबान ने मेरा नाम भी शामिल करा दिया। हम पहुंचे कामनवेल्थ हिल। यह दक्षिणी आस्ट्रेलिया में है। यहां 70 हजार और कभी तो 90 हजार तक भेड़ें पाली जाती हैं, 700 बड़े पशु हैं और 54 हजार जंगली कंगारू हैं। वे

बिना बुलाए मेहमान होते हैं । यह फार्म 4 हजार मील में (10,567 कि० मी०) में फैला है–दुनिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है । एक दिन क्या देखते हैं 25–30 चरवाहे घुड़सवार भेड़ों के रेवड़ को हांक रहे थे । और भेड़ कितनी थी 43 हजार ऐसा कमाल देखो सुना कभी । ये आस्ट्रेलिया की बात है बाबा ।"

"और हां, दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला–यानी एक ही शेड हमने देखा यार्कशायर में । इसमें एक ही सीध में, एक ही शेड में 686 गाएं अपनी नांद से चारा खा रही थी ।" चाचा ने बताया ।

फिर उन्होंने एक कतरन निकाल ली। बोले—"अब हम आपको संसार का सबसे बड़ा गेहूं का खेत दिखाते हैं। यह कनाडा के लैथब्रिज शहर के पास है । यहां गेहूं की फसल देखी, 35 हजार एकड़ जमीन पर यानी 14,160 हैक्टेयर भूमि पर ।"

इसके बाद चचा ने एक तालिका निकाल ली । बोले—"पढ़ो, इसमें अनाज की पैदावार के विश्व रिकार्ड हैं ।"—कतरन पर लिखा था :

अनाज की किस्म	प्रति हैक्टेयर पैदावार (कि० ग्रा० में)	देश/ स्थान
गेहूं	11,273	ब्रिटेन
जौ	10,371	कंब्रिया

मैं उसे पढ़ ही रही थी कि कतरन उन्होंने मेरे हाथ से छीन ली और बोले, "अरे, यह देखो सर्वाधिक कीमत पर बिकने वाले पशुओं के चित्र देखो ।"

अब मेरे सामने एक सांड़ का चित्र था । नीचे लिखा था—25 लाख डालर में बिका, स्थान कैलीफोर्निया, तिथि 9 सितम्बर, 1974 ।

फिर एक गाय । दुनिया की सबसे अधिक मूल्य की गाय । 8 नवम्बर, 1976 को कनाडा में 2 लाख 35 हजार डालर में बिकी । इसके बाद आस्ट्रेलिया की एक भेड़ थी जो 30 हजार डालर में बिकी । इसके बाद 1979 का चित्र था सूअर का । स्थान हडसन (अमरीका) बिक्री मूल्य 21,250 डालर, इसके बाद बैल्जियम का वह घोड़ा था जो सन् 1917 में 47,500 डालर में बिका था।

मैं इन चित्रों को देख रही थी और लालू चचा मेरे को देख रहे थे । उस पर आने-जाने वाले भाव अनुभावों को परख रहे थे । फिर बोले "अब मैं दक्षिण अफ्रीका के गधे दिखाता हूं जो आम नीलामी में सन् 1934 में दो दो पेंस में बिके थे । यानी दुनिया का सब से कम मूल्य में बिका पशु और वैसे भी गधा महाशय ।"

मैं हतप्रभ थी । शहर से दूर एक गांव में रहने वाला मध्यम वर्ग का किसान कितनी रुचि लेता है । आखिर देश हो या विदेश । किसान की रुचि खेत क्यार, पशुधन में सहज रूप से रहती है। मगर इस भोले से देहाती ने कितनी मेहनत की होगी । इतनी सारी कतरनें, सामग्री और चित्र आदि एकत्रित करने में । मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया —"लालू चचा, खेती क्यारी और ग्राम संबंधी जानकारी के तो आप भंडार हैं । इतना तो शायद बड़े-बड़े कृषि विशारद भी नहीं जानते होंगे ?"

चचा ने जोर का ठहाका लगाया और कहने लगे—"अरे लली अपनी सरकार ने तो हमें कृषि पंडित की सनद दी ही थी और बेचारी सरकार ने ही तो हमें बाहर के कई देश दिखाए भी । वहां जाकर हमने तो सबसे बड़े और वजनी पशुओं के साथ अपने फोटो खिंचाए थे । देखिए और हमें पहचानिए ।"

अब मेरे हाथ में कई फोटो थमा दिए उन्होंने एक में बन्द गले का कोट और टोपा कानों पर लगाए चचा खड़े दिखाई दिए–पीछे एक विशालकाय बैल या सांड़ खड़ा था लिखा था स्थान मेन (अमरीका) वजन 2267 किलोग्राम, लम्बाई 6 फुट 2 इंच चौडाई 13 फुट (3.96 मीटर) दूसरे चित्र में अमरीका का ही एक सूअर था । उसका नाम भी था –ग्रेट बिल । वजन 11,575 किलोग्राम नौ फुट का आकार ।

इन सभी ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमें अपने पशुधन को भी चाक-चौबन्द करने की प्रेरणा देते हैं ये सब ।

तभी मेरी नजर एक दूसरे चित्र पर पड़ी । उसमें गाय के सात सद्यजात बछड़े थे । चचा समझाने लगे–"यह रूसी गाय है । इसने एक साथ 7 बछड़े दिए हैं। विश्व रिकार्ड तोड़ा है । मौगीलेव फार्म में ।" फिर एक अन्य चित्र दिखाते हुए वह कहने लगे, "यह फोटो डेनमार्क का है। इस सूअरी ने एक साथ 34 बच्चों को जन्म दिया था । जो कोई परिवार नियोजन को नहीं मानता, मैं यह फोटो उसको दिखा देता हूं ।" और फिर एक अदद हंसी ।

फिर वह बोले, "मेरे पास एक और फोटो है जिसमें भेड़ के 8 मेमने एक साथ जन्मे दीख रहे हैं । वह भी एक रिकार्ड ही था ।"

लालू चचा और भी बहुत कुछ दिखाने को उत्सुक थे । मगर मेरा ही साहस चुक गया । मैंने हाथ जोड़ते हुये उनसे विदा ली । "अच्छा चचा जान फिर बैठक जमेगी । अभी तो आज्ञा दें ।"

बड़े सहज मन से लालू चचा अपनी चीजों के संभालने में लगे जैसे कोई अमूल्य धरोहर हो । उनके मुख पर जो तृप्ति का भाव था, वह मैं भूल नहीं सकती ।□

अपर्णा उपाध्याय 'मम्मू'
40 कल्पना नगर
पटेल मार्ग
गाजियाबाद (उ० प्र०)

ग्रामीण विकास की कुंजी प्रौढ़ शिक्षा

लघु उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात बढाने के प्रयास

एस० एस० वर्मा

राष्ट्रीय विकास में ग्राम और लघु उद्योगों के विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। उनसे देश के औद्योगिक विकास की गति तेज करने, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने और क्षेत्रीय असमानता को कम करने में काफी सहायता मिलती है। ये उद्योग अब नए उद्योगपतियों द्वारा "नर्सरी" के रूप में देखे जाते हैं। इधर कुछ वर्षों से ये उद्योग निर्यात के क्षेत्र में भी महत्व पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र का महत्व इस तथ्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि 1979–80 में इस क्षेत्र द्वारा कुल उत्पादन का लगभग 49 प्रतिशत उत्पादन किया गया था। इस क्षेत्र में 235.8 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ जबकि बड़े और मझोले क्षेत्र के उद्योगों से केवल 45 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सका। निर्यात के क्षेत्र में इस क्षेत्र द्वारा देश के कुल निर्यात का तीसरा हिस्सा था। एक अनुमान के अनुसार 1981–82 में ग्राम और लघु उद्योगों द्वारा देश के कुल निर्यात का 40 प्रतिशत निर्यात किया जाएगा।

ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र को कई भागों में विभक्त किया जा सकता है जैसे (1) परम्परागत उद्योग (जैसे हथ-करघा, खादी और ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हस्तशिल्प और नारियल रेशम उद्योग) और (2) आधुनिक लघु उद्योग जिनमें "नन्ही" इकाईयां और बिजली चलित करघे शामिल हैं। परम्रागत उद्योग आमतौर पर कारीगरी पर आधारित हैं जो अधिकतर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इन उद्योगों की मशीनरी में पूंजी भी कम लगी हुई है और ये उद्योग अंशकालिक रोजगार उपलब्ध कराते हैं।

आधुनिक लघु उद्योगों का विकास देश में औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय विशेषता है। और ग्राम और लघु उद्योगों के कुल उत्पादन का का 60 प्रतिशत हिस्सा यह उद्योग बनाते हैं। इन उद्योगों ने 1981–82 में 32,600 करोड़ रुपये के मूल्य का माल बनाया और 75 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। देश के कुल निर्यात का 23 प्रतिशत निर्यात आधुनिक लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है।

लघु उद्योग क्षेत्र में उपभोक्ता सामग्री थोक में तैयार होती है इनमें चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं, कपड़े, पीतल की वस्तुएं, साबुन और डिटर्जेंट, बर्तन, टूथपेस्ट, टूथ-पाउडर, माचिस, डिब्बा बन्द फल और सब्जियां, लकड़ी और इस्पात का फर्नीचर, बूट पालिश, रंग, वार्निश इत्यादि शामिल हैं। इस क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक्स की वस्तुएं जैसे टी० वी० सैट, इलैक्ट्रानिक नियंत्रण प्रणाली, रेडियो, ट्रांजिस्टर, श्रवण यंत्रों, इन्टरकाम सैटों, कार के रेडियो, इलैक्ट्रानिक डैस्क संगठन अनेक तरह के उपकरण, छोटे बल्ब, ऐनक के शीशे, दवाइयां, बिजली की मोटरें, मशीनों के पुर्जे, स्कूटर और आटो के कलपुर्जे छपाई की स्याही, कीटनाशक दवाइयां इत्यादि का उत्पादन किया जाता है।

हाल के वर्षों में लघु उद्योगों की निर्यात की समीक्षा करने के बाद यह पता चलता है कि हमारे देश के निर्यात में लघु उद्योग का अब एक उल्लेखनीय स्थान बन गया है। अतः यह आवश्यक और लाभकारी होगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र से निर्यात के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किया जाए। टण्डन समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत में निर्मित सामान के निर्यात में 1980–81 से 1990–91 की अवधि के दौरान 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होनी चाहिए। लघु उद्योग इस दिशा में प्रयत्नशील है और इसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि लघु उद्योग द्वारा 1984-85 तक 2,000 करोड़ रुपये और 1990-91 में, 4,000 करोड़ रुपये का निर्यात किया जाएगा।

1981-82 में प्राप्त निर्यात प्रवृत्तियों को देखते हुए इन लक्ष्यों को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। वर्ष 1981-82 के दौरान विशेषकर इंजीनियरिंग वस्तुओं और सिले-सिलाये कपड़ों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आगामी वर्षों में इनके निर्यात में और अधिक वृद्धि होने की आशा है। सिले-सिलाये कपड़ों के बारे में (सिले-सिलाये) एपरल निर्यात प्रोत्साहन परिषद् द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 1982–83 के दौरान इनका निर्यात 750 करोड़ रुपये और 1984–85 तक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात का प्रमुख योगदान सिले-सिलाये कपड़ों से होने की आशा है। लघु उद्योग विकास संगठन (सिडो) लघु उद्योग सेवा संस्थानों और विस्तार केन्द्रों के जरिए लघु उद्योगों को तकनीकी प्रबन्धकीय सहायता और विस्तार सेवा उपलब्ध कराता है। इस संगठन को हाल में ऐसा सक्षम बनाया गया है कि वह इलैक्ट्रानिक्स बिजली, रसायन और प्लास्टिक जैसी आधुनिक इकाइयों को सहायता उपलब्ध करा सके। लघु उद्योग द्वारा तैयार वस्तुओं के निर्यात में बढ़ावा देने के लिए एक पृथक् निर्यात संगठन का गठन किया गया है। □

विकास आयुक्त (लघु उद्योग)
उद्योग मंत्रालय

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

महाराष्ट्र में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक 30-10-1982 को बम्बई में हुई थी और इस बैठक में निदेशक (आई०आर०डी०) ने भाग लिया था। राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के निष्पादन जिसमें ऋण जुटाना भी शामिल है, की विस्तार से समीक्षा की गई थी।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 1982-83 के दौरान सहायक अनुदान की पहली किस्त के रूप में 18.61 करोड़ रुपये की धनराशि बंटित की गई है। वर्ष के दौरान अब तक 80.35 करोड़ रुपये की धनराशि बंटित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 551.17 लाख रुपये की धनराशि तथा 390 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	बंटित नकद निधियां (लाख रुपये में)	बंटित खाद्यान्न (मीटरी टनों में)
1. मेघालय . .	7.37	140
2. पश्चिम बंगाल . .	516.50	—
3. मिजोरम .	14.12	100
4. पाण्डिचेरी	13.18	150
	551.17	390

उपर्युक्त बंटनों के अलावा, वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित किए गये निर्माण कार्यों के बारे में दावों को चुकाने के लिए खाद्यानों की डिलीवर न की गई मात्रा के मूल्य के भुगतान हेतु नागालैण्ड सरकार को 39.60 लाख रुपये की धनराशि संस्वीकृत की गई है।

इस प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 6,413.73 लाख रुपये तथा 156769 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई है। चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के लिए 90.00 करोड़ रुपये की आबंटित धनराशि में से, खाद्यान्नों के मूल्य सहित, अब तक कुल 90.22 करोड़ रुपये का बंटन किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में केन्द्रीय समिति की बैठक सचिव (ग्रा०वि०) की अध्यक्षता में 14 अक्तूबर, 1982 को हुई थी। चालू वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाहियों के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 99.38 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाहियों के लिए 1,55,960 मीटरी टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है।

कृषि विपणन

कृषि बाजारों के बारे में दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला 19 से 22 अक्तूबर, 1982 तक लखनऊ में हुई थी।

विविध

श्री जे० सी० जेटली, संयुक्त सचिव को 2 से 4 नवम्बर, 1982 तक कोलम्बो में हुए दक्षिणी एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास से सम्बंधित कार्यदल की बठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। □

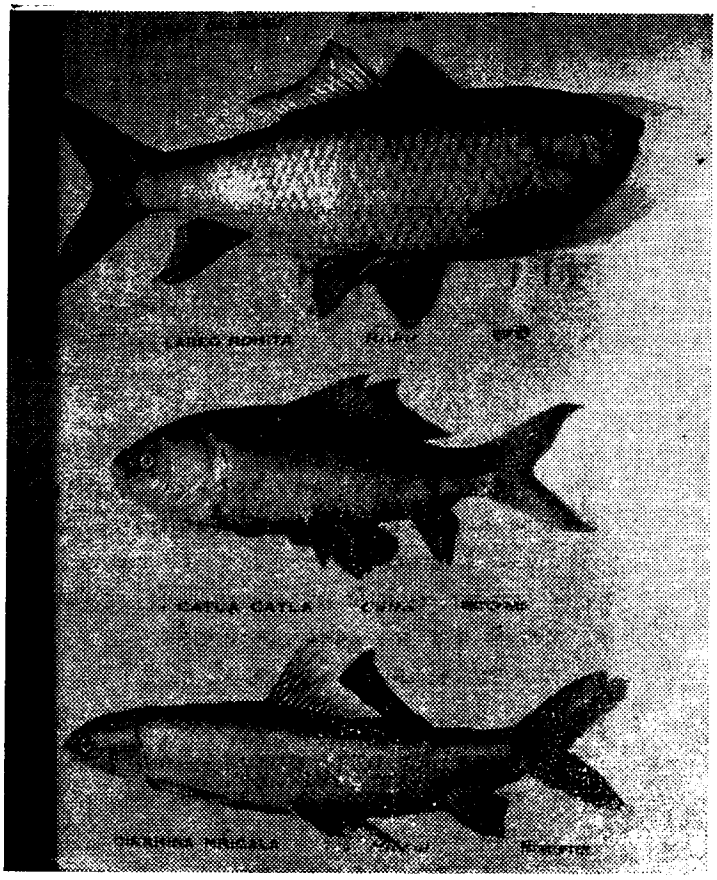

राजस्थान के कोटा संभाग में मछली पालन

प्रभात कुमार सिंघल

मछली पालन व्यवसाय भारत वर्ष में काफी समय पहले से अपनाया जाता रहा है। मछली पकड़ना मछुआरों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से मछली पालन एक लाभदायक व्यवसाय माना गया। इसी कारण राजस्थान राज्य में भी मत्स्य पालन को विकसित करने के लिए सरकार प्रयत्नशील हुई है राजस्थान में कोटा के पास चित्तौड़ गढ़ की सीमा में राणा प्रताप सागर टोंक जिले में, चंदलई, अजेश अजमेर जिले में, जयसमंद उदयपुर जिले में तथा बांसवाडा एवं डूंगरपुर जिले में मत्स्य फार्म बनाए गए हैं।

राजस्थान में गत वर्ष 1981–82 में लगभग 13 हजार टन मछली उत्पादन तथा 30 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन हुआ था। मछली पालन हेतु राजस्थान में तीन लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में जल क्षेत्र उपलब्ध हैं। वर्ष 1982–83 में मत्स्य पालन को विकसित करने के उद्देश्य से मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य क्रमशः 14 हजार टन तथा 58 करोड़ निर्धारित किये गये हैं। वर्ष 1981–82 में मत्स्य पालन की विभिन्न योजनाओं पर 28.60 लाख रुपये व्यय किए गए जबकि यह धनराशि वर्ष 1982–83 में बढ़कर 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

विकास की संभावनाएं

राजस्थान के कोटा संभाग में मछली पालन की विशेषकर आदिवासी क्षेत्र किशन गंज एवं शाहबाद में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। इन संभावनाओं को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र में मछली पालन की एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। जिले में मछली पालन विकास अभिकरण की स्थापना में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

इस योजना के प्रथम चरण में 50 व्यक्तियों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें लम्बे समय (10 से 15) वर्ष के लिए जिले के अविकसित जलाशयों को बहुमुखी रूप से विकसित करने हेतु आबंटित किया जाएगा। वर्तमान में इन अविकसित जलाशयों से प्रति हैक्टेयर लगभग दो सौ किलोग्राम वार्षिक मछली उत्पादन ही रहा है जिसे इस योजना द्वारा विकसित कर दो से तीन हजार किलो मछली प्राप्त करने हेतु क्षमता बढ़ाई जाएगी।

योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ मछली पालकों की आय में भी वृद्धि करना है जिसमें उनका आर्थिक व सामाजिक स्तर ऊंचा उठे।

प्रशिक्षण विद्यालय

मत्स्य पालन हेतु रावत भाटा स्थित मत्स्य फार्म जो कि राज्य का सबसे बड़ा व सुव्यवस्थित फार्म है, को मत्स्य पालन प्रशिक्षण विद्यालय बनाने की योजना विचाराधीन है। वर्तमान में यह प्रशिक्षण विद्यालय उदयपुर में कार्यरत है। यहां सुव्यवस्थित मत्स्य पालन की कमी महसूस की जा रही है। प्रशिक्षण कार्यालय

एवं प्रशिक्षणार्थियों के आवास की सुविधा हेतु भवन के लिए सिंचाई विभाग से अनुरोध किया गया है तथा विभाग के उपलब्ध भवनों में समायोजन हेतु व्यवस्था की जा रही है ।

विकास की गतिविधियां

कोटा संभाग में मछली-पालन हेतु 54 हजार 633 हैक्टेयर जल क्षेत्र (नदियों को छोड़कर) उपलब्ध है । इस जल क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन एक हजार 140 टन मछली का उत्पादन होता है । इससे राज्य को वर्ष 1982–83 में अब तक 23.5 लाख रुपये की राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है तथा शेष जलाशयों से लगभग 1.5 लाख की राजस्व आय और होने की संभावना है । यह आय गत वर्ष 1981–82 से 13.15 लाख रुपये अधिक है ।

कोटा संभाग में वर्ष 1982–83 के लिए 1.10 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे । जिसमें से अब तक लगभग एक करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है । अभी विदेशी मछली का प्रजनन कराना शेष है जिसे फरवरी-मार्च 1983 में कराया जाएगा ।

कोटा संभाग में तीन मत्स्य फार्म कार्यरत हैं । कोटा जिले में कैथून, राणा प्रताप सागर, रावत भाटा तथा सूर सागर में । इनमें से सूर सागर का फार्म निर्माणाधीन है । जिसको ठीक कराने के लिए इस वर्ष दो लाख रुपये व्यय किए जाएंगे । इसके साथ ही झालावाड़ जिले में रेन बसेरा, कोटा में कासिमपुरा तथा बूंदी में मत्स्य फार्म निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है एवं मत्स्य फार्म निर्माण हेतु तकमीने तैयार कर विभाग को स्वीकृत हेतु भेजे जा चुके हैं । साथ ही इस संभाग में बूंदी जिले में बन्धा गुढा तथा कोटा जिले में राणा प्रताप सागर बन्ध सघन मत्स्य विकास परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं ।

कोटा संभाग में ही 1979–80 में शुष्क बन्ध प्रजनन विधि से मत्स्य बीज उत्पादन हेतु कार्यालय की स्थापना झालावाड़ में की गई जिसके अन्तर्गत इस वर्ष शुष्क बन्ध प्रजनन सफलतापूर्वक हो चुका है और इनमें से लगभग पांच लाख मत्स्य बीज प्राप्त होने की संभावनाएं हैं ।

मत्स्य अपराध

मत्स्य पालन को अधिक कारगर बनाने के लिए आवश्यकता है कि मत्स्य संबंधी अपराधों पर नियंत्रण किया जाए । मत्स्य अपराधों की रोकथाम हेतु राजस्थान मत्स्य अधिनियम, 1953 व राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1958 राज्य भर में लागू हैं । इन नियमों के तहत गत वर्ष 54 अपराध पकड़े गए जिनसे विभाग को कई हजार रुपये की आय हुई तथा अन्य पकड़े गये उपकरण जैसे जाल व नाव आदि से ढाई हजार की आय हुई ।

इस प्रकार कोटा संभाग में मछली पालन की व्यापक संभावनाओं का अन्दाजा लगाया गया है । मत्स्य विभाग के मंत्री भी कोटा के ही राज्य मंत्री श्री राम किशन वर्मा हैं । आशा की जाती है कि आपके समय में मत्स्य पालन की विभिन्न योजनाओं में विशेषकर कोटा संभाग में गति आ सकेगी□

गांधी जी

और

राष्ट्रीय

एकता

सुरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल

बहुचर्चित बापू के विचारों के बारे में जितने मुंह उतनी बात की कहावत चरितार्थ होती है। अस्तु, गांधी जी ने अपने समय के ज्वलन्त प्रश्नों के विषय में जो कुछ कहा, बहुत से लोगों ने भिन्न-भिन्न रूपों में उसकी व्याख्या की है और उनमें से हरेक ने ही बापू के वक्तव्यों की व्याख्या अपने-अपने दृष्टि-कोणों से की है परन्तु सभी लोग इस बात पर सहमत रहे हैं कि गांधी जी की मान्यता थी कि राष्ट्र के राष्ट्रीय-सांस्कृतिक ध्येयों का केन्द्र बिन्दु राष्ट्रीय एकता है। यह धारणा मुख्यतः साम्प्रदायिक सामंजस्य, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और प्रान्तीय भावनाओं से निर्लिप्तता पर आधारित थी।

गांधी जी ने भारत के विभाजन के एक माह बाद अपने एक मित्र को लिखा था, "साम्प्रदायिक एकता मेरे अस्तित्व का प्रमुख अंग है। यह बात तो तब भी मुझ पर लागू होती थी जब खद्दर और गांव के सभी उद्योगों के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। उस समय मैं साम्प्रदायिक एकता से अभिभूत हो गया, मैं तब केवल बारह साल का था और अंग्रेजी की शुरुआत ही मैंने की थी। मैंने तभी यह अनुभव कर लिया था कि सभी हिन्दू, मुसलमान और पारसी एक ही धरती के बेटे हैं और इसलिए भाईचारे के प्रति उन्हें कृत-संकल्प होना चाहिए।" यह बात सन् 1885 की है जबकि कांग्रेस पैदा ही नहीं हुई थी। इस सिलसिले में बापू ने सदा दोहराया "भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं इसलिए वह एक राष्ट्र नहीं हो सकता, यह तर्क गलत है... हिन्दू, मुसलमान, पारसी तथा ईसाई जिन्होंने भारत को अपना देश बना लिया है, वे सब इस एक ही देश के वासी हैं और उन्हें यदि और किसी कारण से नहीं तो कम से कम अपने ही हित के लिए मिलजुलकर रहना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी भाग में वहां के रहने वाले सभी लोगों का एक ही धर्म हो, ऐसी बात नहीं है और भारत में भी ऐसा कभी नहीं रहा है... वे सब लोग जो इस देश में जन्मे हैं और जो इसे अपनी मातृभूमि मानते हैं, वे चाहे हिन्दू हों या मुसलमान या पारसी या ईसाई, जैन या सिख, वे सब समान रूप से उसकी संतान हैं और इसलिए वे भाई-भाई हैं और खून से भी ज्यादा मजबूत बन्धन से एक-दूसरे से बन्धे हुए हैं।"

लेकिन बापू को 1946 के अन्त में साम्प्रदायिकता के प्रश्न पर एक प्रकार की हार माननी पड़ी और उनके जीवन का अवसान हुआ 30 जनवरी, 1948, और वह भी एक हत्यारे की गोली से—उस उन्माद का कारण था पाकिस्तान तथा मुसलमानों के लिए उनकी अविश्लेष्य सहानुभूति। अपनी हत्या के केवल दो सप्ताह पहले उन्होंने साम्प्रदायिक एकता के अपने सपने का हवाला देते हुए कहा था कि "मैं अपनी जीवन संध्या में एक बालक की भांति कूद पड़ूंगा जब मैं यह महसूस करूंगा कि मेरे जीवन में ही मेरा सपना साकार हो गया है।" स्वतंत्रता आन्दोलन के नेतृत्व के दौरान, साम्प्रदायिक उपद्रवों ने भारत में उथल-पुथल मचा दी और उसकी परिणिति हुई, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग में, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या में देश भर में साम्प्रदायिक दंगों का सिलसिला शुरू हो गया, देश का विभाजन हो गया, और शुरू हो गया देश के दोनों भागों से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आवागमन, जिसके फलस्वरूप उपमहाद्वीप में लाखों लोगों को भयंकर विपदाओं का सामना करना पड़ा।

फिर भी, गांधी जी ने इस साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए अपने लौह-संकल्प का परिचय दिया और अन्त में वे इसी महान ध्येय के पावन यज्ञ में हुतात्म हुए। सत्य और व्यावहारिक तथा स्पष्ट विचारों के प्रति समर्पित, गांधी जी ने कहा था कि विभिन्न धर्मों में असमानता का विश्वास असहिष्णुता तथा मतान्धता को जन्म देता है और साम्प्रदायिक हिंसा के लिए खाद का काम देता है। उनके अनुसार सभी धर्मों की समानता ही मानव मात्र की समानता के प्रति एक अनिवार्य निष्ठाभाव है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रकृतितः हम सब समान हैं। जाति और चमड़ी के, मन और मस्तिष्क के, जलवायु और राष्ट्र के अन्तर स्थानीय हैं। इसी प्रकार मुख्यतः सभी धर्म समान हैं।

गांधी जी ने कहा कि सत्य, जो कि ईश्वर के बराबर है, सब जगह एक जैसा ही है। और सभी जगह धार्मिक जिज्ञासा का उद्देश्य भी सत्य है जिसका वास्तविक अर्थ है न्याय। इस प्रकार अगर कोई आदमी अच्छा हिन्दू है तो वह अच्छा मुसलमान, ईसाई या सिख ही है। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म अपने इर्द-गिर्द बस्तियों को सिर्फ इसलिए कि वे साथी दूसरे धर्म के हैं, मारने की शिक्षा नहीं देता। वास्तविक धार्मिक जीवन सर्वोच्च शिक्षाओं के पालन करने से ही व्यतीत किया जा सकता है और यह सर्वोच्च शिक्षाएं हरेक धर्म का सार हैं।

समस्याओं को ठीक परिप्रेक्ष्य में देखने का यही था सच्चा गांधीवादी दृष्टिकोण।

नवम्बर 1919 में, गांधी जी को दिल्ली में हिन्दू और मुसलमानों के संयुक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां सिलाफत आन्दोलन पर चर्चा की जानी थी। निमंत्रण में लिखा गया था कि 'न केवल खिलाफत प्रश्न पर बल्कि गोरक्षा पर भी चर्चा होगी।' गांधी जी का अपना एक निराला तरीका था। उन्होंने कहा कि दोनों प्रश्नों को मिलाया न जाए और न उन्हें सौदे-बाजी के रूप में समझा जाये। हरेक प्रश्न पर गुणावगुणों के अनुसार ही विचार किया जाएगा। उनकी मान्यता थी कि 'यदि खिलाफत प्रश्न का आधार उचित और न्यायसंगत है, तो हिन्दू निश्चय ही मुसलमानों का साथ देंगे...उसमें गो-रक्षा के प्रश्न को उठाना उपयुक्त नहीं होगा...या मुसलमानों के सामने शर्तें रखना...ऐसे अवसरों पर दोनों ही दलों को भले पड़ोसियों की तरफ व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और परस्पर सहायता करनी चाहिए।' और, गांधी जी के ये विचार मान लिए गए थे।

गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि साम्प्रदायिकता की ही तरह भारतीय समाज में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना चाहिए ताकि स्थायी आधार पर राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सके। राष्ट्र के जीवन के पुनर्निर्माण की दिशा में सामाजिक सुधार में उनका योगदान महत्त्वपूर्ण है। यह कहा जा सकता है कि उनका सम्पूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम के प्रति समर्पित था। यह रचनात्मक कार्यक्रम हमारे स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न अंग था। उनका विश्वास था कि मुख्यतः राष्ट्रीय धर्म की अवहेलना का परिणाम हम भुगत रहे हैं। उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय चरित्र को सुधारने के लिए तैयार किया था। उनका मन्तव्य था कि सुधरा भारत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक स्वतन्त्र भारत होगा। इसीलिए, उनके कार्यक्रम का सबसे पहला और महत्त्वपूर्ण अंग था—अस्पृश्यता निवारण। यह सुधार केवल हिन्दू समाज के लिए ही नहीं था। दूसरे सम्प्रदाय भी इस बुराई से पूर्णतः मुक्त नहीं हैं। अस्पृश्यता एक नृशंस तथा अमानवीय संस्कार है। यह मानव की गरिमा पर प्रहार है और लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता की भावना के विरुद्ध है। गांधी जी ने अस्पृश्य लोगों से यह नहीं कहा कि वे अपने मानव अधिकारों के लिए किए जाने वाले संघर्ष में गांधी जी का साथ दें। उन्होंने कहा कि अभी वे लोग ऐसा करने में अक्षम हैं। उन्होंने सवर्ण लोगों से कहा कि अस्पृश्यता निवारण के लिए चाहे जो भी बलिदान करना पड़े, उन्हें करना चाहिए। इस प्रकार सवर्ण लोग, सदियों से किए गए अत्याचारों के प्रति, भले ही देर में सही, न्याय कर सकेंगे जो राष्ट्रीय एकता के लिए मूल आधार है।

इसी प्रकार, आज जब, असम और पंजाब की परेशानी दिल और दिमाग को झकझोर रही है, याद आती है बापू की यह बात कि "भाषावाद राज्यों के गठन से भारत की एकता नहीं टूटनी चाहिए। स्वायत्तता का अर्थ विघटन नहीं होता और न होना चाहिए, और न इसका यह अर्थ है कि इसके बाद राज्य एक-दूसरे का तथा केन्द्र का बिना ख्याल किए जैसा चाहे वैसा करें। यदि हर राज्य अपने को अलग सार्वभौम समझने लगेगा तो भारत की स्वतन्त्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा और साथ ही विभिन्न प्रान्तीय इकाइयों की स्वतन्त्रता भी समाप्त हो जाएगी।...दूसरे देशों के लोग हमें गुजराती, मराठी, तमिल आदि के रूप में नहीं बल्कि केवल भारतीयों के रूप में जानते हैं।...इसलिए हमें समस्त विघटनकारी प्रवृत्तियों को दृढ़तापूर्वक दबाना चाहिए और अपने को भारतीय समझना चाहिए तथा उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए।... जाति तथा प्रान्तीयता की दोहरी दीवार को तोड़ना चाहिए। यदि भारत एक और अखण्ड है तो निश्चय ही इसमें ऐसे कृत्रिम विभाजन नहीं होने चाहिए जिनसे अनेक छोटे-छोटे समूह बन जाएं।"

राष्ट्रीय एकता की बात को आगे बढ़ाते हुए बापू ने कहा था कि "एकता क्या चीज है और उसे किस तरह बढ़ाया जा सकता है।" इसका उत्तर सीधा-सादा है। एकता के लिए आवश्यक यह है कि हम सब लोगों का उद्देश्य एक हो, लक्ष्य एक हो तथा हमारी तकलीफें भी एक समान हों। एकता को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग किया जाए, दूसरों के दुखों में हिस्सा बंटाया जाये और परस्पर सहिष्णुता बरती जाए।...सारे संसार पर इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा है कि भारत ने बिना रक्तपात के स्वतंत्रता प्राप्त की है। हमें अपने सही आचरण द्वारा अपने को उस स्वतन्त्रता के योग्य बनाना है।...मैं चाहूंगा कि मेरे स्वप्नों का भारत, ऐसे नवजीवन की नींव डाले जो स्वाभाविक वातावरण के अनुकूल हो।...सर्वोत्तम समाज की स्थापना नव-भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिये।

भारत अब स्वतंत्र है, और अब वास्तविकता मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। अब चूंकि परतन्त्रता का बोझ हट गया है अतः समस्त अच्छी शक्तियों को एक ऐसे देश का निर्माण करने के महान प्रयास में लगना है जो मनुष्यों के झगड़ों के, चाहे वे दो राज्यों के बीच हों अथवा एक ही देश की जनता के दो वर्गों के बीच हों, निपटारे के लिए हिंसा के तरीकों को नहीं अपनाना।"

गांधी जी का ख्याल था कि जब तक भारतवासी राष्ट्रीय हित की दिशा में सोचना शुरू नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय एकता एक स्वप्न मात्र रहेगी। गांधी जी की योजना में प्रान्तीयता या क्षेत्रीयता के लिए कोई स्थान नहीं था क्योंकि इनसे राष्ट्रीय मूल्यों को आघात पहुंचता है और राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचती है। बाद में राष्ट्रीय एकता एक लोकप्रिय नारा बन गया। यद्यपि भारत अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बंटा हुआ है, उन्हें अलग-अलग क्षेत्र समझना भूल होगी। भारत के संविधान में ये उद्देश्य ध्वनित होते हैं और इनमें गांधीजी की यह विचारधारा प्रतिध्वनित होती है कि यदि भारत का अन्त होता है तो हम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा। □

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला - 1982

ब्रजलाल उनियाल

एक जमाना था जब किन्हीं खास जगहों पर किन्हीं खास पर्वों या अवसरों पर मेले लगा करते थे। इनका उद्देश्य जहां जगह-जगह की चीजों की बिक्री-खरीद हुआ करती थी वहां लोगों से मेल-मिलाप का भी ये मेले अवसर प्रदान करते थे। मीलों का सफर बैल-गाड़ियों से या पैदल या दूसरी सवारियों से तय करते थे और तब कहीं मेले में पहुंच कर उत्कण्ठा की परिणति होती—उल्लासमय, कोलाहलपूर्ण, वैविध्यभरे वातावरण में पहुंच कर। आज के मेलों में भी बिक्री-खरीद होती है, लोगों से मेल-मिलाप होता है पर इससे बढ़कर वहां झांकी मिलती है देश के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेती-बाड़ी और उद्योगों के बढ़ते चरणों की और करिश्मों की।

व्यापार में अलग-अलग देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की दिशा में एक साधन हैं। ये मेले उन्नत और विकासशील देशों के बीच तकनीकी ज्ञान के सेतु हैं। इसके अतिरिक्त, ये सद्भाव और मैत्री के भी परिचायक हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, में जो 14 नवम्बर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में चला, देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्रान्ति की झांकी पेश की गई। न केवल हमारे देश की बल्कि इंगलैण्ड, रूस, डेनमार्क, बल्गेरिया आदि अनेक देशों की औद्योगिक प्रगति का आभास भी इस मेले से मिला। इसी मेले के कारण कुछ देशों ने तो भारत से माल खरीदने की पेशकश भी की।

राज्यों के मंडप

इस विशाल विराट क्षेत्र में फैले प्रायः सभी प्रमुख राज्यों के मण्डप थे। उन मंडपों को देखने से सहज ही विश्वास हो जाता है कि स्वतंत्रता के बाद केवल 35 वर्षों में भारत के विभिन्न राज्यों ने औद्योगिक क्षेत्र में कितनी उन्नति की है।

इसमें सन्देह नहीं कि पंजाब और हरियाणा ने कृषि, हस्तशिल्प, औद्योगिक सभी क्षेत्रों में ऐसी प्रगति की है कि आज राज्य समृद्धि की उस अवस्था को पहुंच गए हैं कि संसार के उन्नततम देशों की बखूबी होड़ करने के दे काबिल हो गए हैं। पंजाब व हरियाणा ने हस्त-शिल्प में और खेती-बाड़ी के यन्त्रों में भारी तरक्की की है। हरियाणा के मंडप में खेतीबाड़ी के वैज्ञानिक सुधरे यंत्र दिखाए गए। इन यंत्रों और वहां के किसानों द्वारा अपनाई गई सुधरी तकनीकों और मेहनत की बदौलत कृषि क्रान्ति के अग्रदूत यहां के किसान भी हैं। गांवों-गांवों में बिजली ने वहां की औद्योगिक प्रगति में चार चांद जोड़ दिए हैं। कुछ खास वैज्ञानिक उपकरणों के कुल निर्यात का 35 प्रतिशत माल का निर्यात अकेले अम्बाला ही करता है। पंजाब की उन्नति तो स्मरणीय है ही। देश के सब से बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मंडप में हस्तशिल्प की अच्छी झांकी मिलती थी। उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित किए गए खेती-बाड़ी के कई यंत्र दिखाए गए थे। आलू खोदने के यंत्र, धान में निराई-गुड़ाई के लिए (पैडी वीडर) यंत्र, अनाज सम्भाल भंडार दिखाए गए थे। मुरादाबाद के बर्तनों की नुमाइश और तरह-तरह के उपकरण उत्तर प्रदेश की प्रगति का परिचय देते थे। मंडप में उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के वस्त्रों की नुमाइश भी अच्छी थी। इससे मालूम होता है कि वहां के बुनकरों द्वारा शत-प्रतिशत शुद्ध ऊनी वस्त्रों, शालों, कालीन आदि में शुद्धता और कलात्मकता दोनों ही हैं। राज्य की कुल आय का 51 प्रतिशत खेतीबाड़ी और सम्बन्धित धन्धों से मिलता है। 1982 को 'उत्पादन वर्ष' घोषित किया गया है। बड़े और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति 'उद्योग बन्धु' की स्थापना की गई है।

दिल्ली का मंडप अत्यंत मोहक और भव्य था। इस मंडप में जहां दिल्ली की सर्वांगीण प्रगति की झांकी मिलती है वहां दिल्ली वित्तीय निगम द्वारा यह दर्शाया गया था कि निगम छोटे और मध्यम दर्जे के औद्योगिक यूनिटों को, जोकि दिल्ली या चंडीगढ़ में स्थित हैं, स्थिर सम्पदा जैसे भूमि, भवन या मशीनरी के लिए 30 लाख रुपये तक का ऋण दे सकता है। इतना ही नहीं विकलांगों को उन्हें अपने पांव पर खुद खड़ा करने के उद्देश्य से, ऋण देने की भी व्यवस्था है। इन लोगों को बहुत-सी रियायतें भी दी जाती हैं। दिल्ली के मंडप में यद्यपि इस केन्द्र शासित प्रदेश की सर्वांगीण उन्नति दिखाई गई थी पर इसका ग्राम्य अंग अपेक्षाकृत उपेक्षित-सा लगा।

कृषि व ग्राम विकास का मंडप

हमारे देश में लगभग 5 लाख 76 हजार गांव हैं। देश की 80 प्रतिशत जनता इन्हीं गांवों में रहती है। अगर

गांवों की प्रगति होती है तो देश आगे बढ़ता है और अगर इनमें गत्यवरोध होता है तो देश की तरक्की का चक्का जाम हो जाता है। इसलिए जाहिर है कि कोई भी राजनेता या सरकार सबसे पहले राष्ट्र के इस सबसे महत्वपूर्ण अंग की ओर ध्यान देगी।

इसमें सन्देह नहीं कि देश में कृषि क्रान्ति हुई है और औद्योगिक प्रगति में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं परन्तु जिस देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती हो वहां के प्रत्येक क्षेत्र में गांवों का सम्यक् प्रतिनिधित्व होना चाहिए। खेद है कि अब भी गांवों की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। हां, इस मंडप की विभिन्न वस्तुओं को देखकर मालूम होता था कि खेती की प्रौद्योगिकी कहां से कहां पहुंच गई है। विस्तार निदेशालय द्वारा कृषि के भिन्न-भिन्न प्रकार के छोटे-बड़े यंत्र दिखाए गए थे। अनुसंधान के परिणामस्वरूप जो उपलब्धियां मिली हैं उन्हें खेतों में पहुंचाया जा रहा है जिसके फलस्वरूप खेती में सर्वांगीण उन्नति हो रही है। किस तरह उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, सुधरे यंत्र और वैज्ञानिक तौर-तरीके किसान अपना रहे हैं, इन सबकी झांकी वहां मिलती थी। प्रधानमंत्री के बीस-सूत्री कार्यक्रम में जिन बातों को प्रमुखता दी गई है यहां उनकी झलक मिलती थी। ऊर्जा की बचत के लिए किस प्रकार सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, यह भी दिखाया गया था। केन्द्रीय रुक्ष-क्षेत्र संस्थान, जोधपुर द्वारा बारानी खेती के बारे में जानकारी दी गई। अब तक बारानी खेती उपेक्षित रही जबकि ज्यादा खेती इसी के अन्तर्गत होती है।

बीस-सूत्री कार्यक्रमों में गरीबी दूर करने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, विभिन्न चित्रों और लेखाचित्रों द्वारा उनकी झांकी भी मिलती थी। इसमें दिखाया गया था कि चालू वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए 8374.98 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए रोजगार कार्यक्रम और ट्राइसेम (ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार की प्रशिक्षण योजना) के अन्तर्गत सभी राज्यों में काम जारी है। स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, ऋण, अनुदान और विपणन की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। चार्टों और चित्रों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में भी बताया गया था।

कृषि उद्योग के बाद ही हथकरघा उद्योग ही ऐसा उद्योग है जो कम से कम पूंजी से अधिक से अधिक रोजगार के साधन मुहैया करता है। मंडप में यह दिखाया गया था कि यह उद्योग कितना महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश में लगभग 30.21 लाख हथकरघे हैं जिनसे 1740 करोड़ रुपये के सूती कपड़ों और 131 करोड़ रुपये के रेशमी वस्त्रों का उत्पादन हो रहा है। इस उद्योग को यह श्रेय प्राप्त है कि अकेले इस से हमारे देश को 261 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिलती है। बुनकरों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानमंत्री ने अपने बीस-सूत्री कार्यक्रम में विशेष स्थान दिया है। मंडप में इसकी सबसे संबंधित जानकारी मिलती थी।

जनजाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इसकी झांकी भी इस मंडप में मिलती थी। छठी योजना के दौरान पिछली योजना की तुलना में चार गुनी अधिक वित्तीय सहायता जनजातियों के उत्थान के लिए दी जाएगी। विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि लगभग 4 अरब 70 करोड़ रुपये है। इसमें सन्देह नहीं कि इससे पहले जनजातियों की ओर इतना ध्यान कभी नहीं दिया गया।

भूमि सुधार पर भी अच्छी जानकारी दी गई थी। छोटे किसानों और सीमांत किसानों को इन सुधारों से कितना लाभ पहुंचा है इसकी जानकारी दी गई। इस मंडप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विभिन्न संस्थानों द्वारा की गई वैज्ञानिक उपलब्धियों की भी झांकी मिलती थी। देश ने जहां कृषि क्रान्ति द्वारा अनाज में स्वावलम्बन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है वहां पशुपालन में भी सर्वांगीण उन्नति की गई है। संकर नस्ल के पशुओं से अधिक दूध, मुर्गियों से अधिक मांस, मछलीपालन में की गई प्रगति और सुधरी किस्म के अनाजों से लगाई फसलों से देश को इतना अधिक लाभ पहुंचा है कि अब हम यह महसूस करने लगे हैं कि अनुसंधान पर किए जाने वाला व्यय अब रंग लाने लगा है।

गांवों में बिजली पहुंचाने में जो प्रगति हुई है उससे न केवल लोगों को सुख-सुविधा मिली है बल्कि नए यंत्रों को अपनाने में भी भारी सहायता मिली है। ऊर्जा के नए साधन के रूप में जहां सौर ऊर्जा के चूल्हे दिखाए गए थे वहां दूसरी ओर बायोगैस संयंत्र भी दिखाया गया था। बायोगैस संयंत्र में दिखाया गया कि किस प्रकार गोबर द्वारा ईन्धन गैस तो तैयार की ही जाती है, साथ ही इस्तेमाल करने के बाद गोबर से अच्छी खाद भी मिलती है। इस ईन्धन गैस से अन्य गैसों की तरह ही भोजन तैयार किया जा सकता है और बिजली भी जलाई जा सकती है। इसका प्रचार-प्रसार अभी बहुत सीमित है।

ग्राम झांकी

भारत के ग्राम्य जीवन की सुन्दर मनोहारी झांकी के दर्शन होते थे ग्राम मंडप में। ग्राम्य जन मानस की कला, पौराणिकता, संस्कार, हस्तशिल्प सभी के दर्शन होते हैं इस मंडप में। लोक कला से मंडित अनेक दीवारें थीं, सुसज्जित आंगन थे, सुरुचिपूर्ण झोपड़ियां थीं। इनमें ग्रामीण जीवन के माध्यम से भारतीय गांवों की सुंदर परम्पराओं को दिखाया गया था। लोक कला और आदिवासी कलाएं भी अपने में बेजोड़ होती हैं। उनके धार्मिक अनुष्ठानों के प्रयोग, अनेक देवी-देवताओं की धातुओं व काष्ठों की मूर्तियां, देखते ही बनती थी। यहां रहट जैसी सिंचाई की सामान्य विधियां और घरेलू औजारों के अच्छे नमूने देखने को मिलते थे। वास्तव में एक ही स्थान पर हमें यहां भारतीय ग्रामों की विविध संस्कृतियों और सम्पन्नता के संगम के दर्शन होते थे।

यहां ग्रामीण आवास के विविध रूपों की झांकी मिलती थी। इन्हें आज के

विज्ञान-सविता की रश्मियों ने नहीं छुआ बल्कि परम्परागत शिल्पकारों की कुशल कला की ये बोलती तस्वीरें हैं। असम की रामा झोंपड़ी एक अजीबोगरीब कला का नमुना है। यह रामा लोगों का रहने का परम्परागत स्थान है। इसे बांस से बनाया जाता है जिस में कील जैसी किसी सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता। दीवारें भी बांस की बनी होती हैं।

कुछ झोंपड़ियों में केवल दीवारों के चित्र सजाए गए हैं जोकि उत्सवों या पूजापाठ व अनुष्ठानों में टांगे जाते हैं। बाजे, आभूषण, औजार, मछली पकड़ने के जाल, ताड़ की पत्तियों से बनी सामग्री आदि ग्रामीण कला के सुंदर नमूने थे।

पुराने समय में प्रयोग में आने वाली सुंदर सुसज्जित पालकी, उत्कृष्ट काष्ठ की मूर्तियां, कर्नाटक की कुछ अप्रतिम मूर्तियों, काली मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों, शिव, गणेश आदि की सुन्दर आकर्षक मूर्तियों में ग्राम्य कला मुखर थी। परम्परागत शयनासनादि भी दिखाए गए थे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मंडप

इस मंडप की यह सबसे बड़ी विशेषता थी कि भारत के विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, राज्यों के लोगों के बीच जो एकता की अन्तःसलिला बह रही थी उसकी झांकी यहां मिलती थी। देश के महान नेताओं और संतों ने देश को जो समानता और एकता का गुरुमंत्र दिया, उसकी झलक भी देखी इस मंडप में।

इस मंडप में मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का भी एक स्टाल लगाया गया है। वहां पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि पुस्तकों की बिक्री काफी अच्छी होती थी। किसी-किसी दिन तो एक हजार रुपये तक की बिक्री हो जाती थी। खुशी इससे बात की है कि अधिकतर बिकने वाली पुस्तकें हिन्दी की थीं। इससे पता चलता है कि भले ही कितने ही और कैसे ही लोग मेला देखने आएं, हिन्दी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है।

सफलता की चोटी पर

आओ तिरंगे को हम फहरायेंगे अभी।
छब्बीस जनवरी को न भुलायेंगे कभी।

सरहदों पर प्रहरी यह सतर्क रह कहें,
शक्ति अपनी वक्त पर बतलायेंगे कभी।

जंग थोपेगा कोई तो हम भी फिर मज़ा,
अन्याय के जवाब में चखायेंगे कभी।

जान भी देनी पड़े तो देंगे जान पर
दुश्मन को पीठ हम नहीं दिखायेंगे कभी।

शहीदो, देशवासी ये वादा हैं कर रहे,
कुरबानियां तुम्हारी न भुलायेंगे कभी।

मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं प्यार लुटाते,
सफलता की चोटी पर मुस्करायेंगे कभी।

शहाबुद्दीन खान
रायपुर (म० प्र०)

विदेशी मंडपों में सोवियत संघ का मंडप न केवल बहुत बड़ा था बल्कि विविधता लिए भी था। इसमें हस्तशिल्प जैसे छोटे उद्योगों से लेकर भारी भरकम मशीनें और अधुनातन उपकरण दिखाए गए।

उपसंहार

इस मेले के समापन समारोह में विदेशों में रूस को और राज्यों में हरियाणा को श्रेष्ठता के कारण स्वर्ण पदक दिए गए। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अपने आप में एक महती उपलब्धि था क्योंकि इस मेले के माध्यम से भारत द्वारा काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की पेशकश की गई और इससे भारत की भारी प्रगति की अच्छी झलक मिलती है पर एक बात अवश्य खलती थी कि जगह-जगह अंग्रेजी का प्राधान्य नजर आया। जगह-जगह बोल-चाल, प्रदर्शनी की वस्तुओं की जानकारी देने की भाषा आदि में अंग्रेजी का ही बोलबाला था। कहीं-कहीं यह भी देखने को मिला कि स्टाल पर बैठे अधिकारी पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक ब्यौरा या उत्तर नहीं दे पा रहे थे। गांवों की सर्वांगीण प्रगति की झलक की अपेक्षा इस मेले में इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि यह मूलतः व्यापार मेला था। ग्राम झांकी से अवश्य कुछ संतोष मिला। संसार के विभिन्न देशों की प्रगति की झांकी देखकर लगा कि भारत को अभी काफी लम्बा रास्ता तय करना है, ऊंची मंजिलों पर पहुंचना है और इसके लिए चाहिए हमें निष्ठा, श्रम और साधना की त्रिवेणी। □

के-38, एफ, साकेत,
नई दिल्ली-110017

भारत में भूमिक्षरण और उसका निदान

डा० ओम प्रकाश शर्मा * प्रो० श्यामलाल गुप्त

भूमि कृषि उत्पादन का मूलभूत आधार तथा सम्पूर्ण मानव जाति के लिए प्रकृति का बहुमूल्य वरदान है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इसका विशेष महत्व है, परन्तु भूमिक्षरण की समस्या ने इसके लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। भूमिक्षरण के कारण भूमि की उर्वराशक्ति निरन्तर कम होती चली जाती है जिसके फलस्वरूप उपजाऊ प्रदेश अनुत्पादक एवं बीहड़ क्षेत्रों में परिणित हो जाते हैं। भारत में इस समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। यहां प्रतिवर्ष करोड़ों टन मिट्टी बह-बहकर समुद्र के गर्भ में चली जाती है अथवा वायु द्वारा उड़ाकर मरु भूमियों में पहुंचा दी जाती है। वर्षाकाल में तो यह समस्या अत्यन्त भयावह रूप ले लेती है। भूमि-क्षरण के परामर्शदाता डा० टामहेन के अनुसार **"भारतवर्ष में अनुमानतः 80 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि जो देश के भूमि संसाधनों का लगभग एक चौथाई भाग है, किसी न किसी प्रकार के भूमिक्षरण से ग्रस्त है।"**

भूमिक्षरण का आशय भूमि के कटाव अथवा मिट्टी के अपरदन से होता है जो जल, वायु, हिम अथवा किसी भी साधन द्वारा किया जाता है। भूमि को जोतने, पशु चराने तथा वृक्षों को काटने आदि से जब भूमि, वनस्पति विहीन हो जाती है तो जल-वायु अथवा अन्य साधनों द्वारा भूमि की उपरी सतह मिट्टी को बहाकर अथवा प्रवाहित कर हटा दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। योजना आयोग के अनुमानानुसार "भूमि कटाव से प्रतिवर्ष सतही मिट्टी का 2% भाग नष्ट हो जाता है।" कृषि उत्पादन की दृष्टि से मिट्टी की यही उपरी सतह अधिक उपजाऊ होती है।

भूमिक्षरण वैसे तो प्रायः प्रत्येक स्थान पर होता रहता है परन्तु इसकी मात्रा सर्वत्र एक समान नहीं होती। समतल तथा वनस्पति से आच्छादित भूमि की तुलना में ढालू तथा वनस्पति विहीन भूमि पर अपरदन तीव्र गति से होता है। इसके अतिरिक्त, भूमि क्षरण की गति एवं गहनता मिट्टी की संरचना, भूमि के ढाल, वर्षा की मात्रा, तथा प्रकृति एवं भूमि के उपयोग आदि पर भी निर्भर करती है। भूमिक्षरण प्रायः दो प्रकार से होता है।

धरातलीय अथवा परत अपरदनः—जब वर्षा जल अथवा तेज गति से चलने वाली वायु द्वारा भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी को प्रवाहित कर हटा दिया जाता है तो इसे भूमि का परत अपरदन कहते हैं। इस प्रकार के अपरदन से देश में प्रति वर्ष सर्वाधिक हानि होती है। राष्ट्रीय योजना आयोग के अनुसार 'इस प्रकार का अपरदन लकड़ी के लिए वनों को अत्यधिक काटने, अत्यधिक पशु चारण और स्थानान्तरण कृषि अथवा समतल भूमि पर उचित ढाल न बनाने के कारण होता है। इस प्रकार का अपरदन परती भूमि, ऐसी सभी कृषि योग्य भूमि जिसकी वनस्पति अत्यधिक पशु चारण अथवा किसी अन्य दुरुपयोग के कारण नष्ट हो चुकी है तथा उन समस्त ढालू कृषि भूमियों और ढालू व उजाड़ वन क्षेत्रों जिनकी जल सोखने की शक्ति उपरोक्त कारणों की वजह से घट गई है पर विस्तृत रूप से पाया जाता है।"

अवनालिका अपरदनः—जब वर्षा एवं बाढ़ का जल तीव्र गति से प्रवाहित होता है तो भूमि में छोटी नालियां तथा गड्ढे, बना देता है। ये नालियां तथा गड्ढे कालान्तर में गहरे होकर बीहड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार के अपरदन को ही अवनालिका अपरदन कहते हैं। चम्बल एवं यमुना के बीहड़ प्रदेश इसी प्रकार के अपरदन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। परत अपरदन की तुलना में यह अधिक हानिकारक होता है।

भूमि क्षरण के कारकः—भूमिक्षरण के कारक के रूप में वायु का महत्वपूर्ण स्थान है। तेज गति से प्रवाहित होने वाली वायु भूमि की ऊपरी सतह से मिट्टी के कणों को उड़ा कर एक स्थान से दूसरे स्थानों को स्थानान्तरित करती रहती है जिसके फलस्वरूप जहां एक ओर अपरदन के कारण भूमि की उर्वराशक्ति का ह्रास होता है वहां दूसरी ओर उपजाऊ भूमि पर बालू तथा रेत के निक्षेपण से भूमि की उत्पादकता में गिरावट आती है।

वर्षा: वर्षा की बूंदों के भूमि पर गिरते ही मिट्टी के कण ढीले एवं असंगठित हो जाते हैं और जब जल बहने लगता है तो ये भी उसी के साथ बह जाते हैं। अधिक एवं मूसलाधार वर्षा के प्रदेशों में तो वर्षा का जल अत्यन्त प्रभावी कारक के रूप में भूमिक्षरण करता है।

हिम: उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों में भूमिक्षरण प्रमुख रूप से हिम नदियों द्वारा ही होता है परन्तु यह सीमित क्षेत्रों में ही पाया जाता है।

समुद्र: समुद्र तटीय क्षेत्रों में भूमिक्षरण प्रधानतया ज्वारभाटा तथा समुद्री लहरों के माध्यम से ही किया जाता है जिससे समुद्र तटीय क्षेत्रों की उपजाऊ मिट्टी धीरे-धीरे समुद्र के गर्भ में निक्षेपित हो जाती है।

भूमिक्षरण के कारण

योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार **"वनों का विनाश, पशुओं द्वारा अबाध गति से चराई के फलस्वरूप वनस्पति के रक्षा कवच का नाश, लकड़ी व ईंधन के लिए वृक्षों की अत्यधिक कटाई तथा खेतिहर भूमि के विस्तार के लिए जंगलों की सफाई आदि कारण भूमिक्षरण के लिए उत्तरदायी हैं।"**

(1) अति प्राचीनकाल से ही मनुष्य ईंधन एवं अन्य कार्यों के लिए वनों को निर्दयतापूर्वक काटता चला आया है। वनों के काटे जाने से मिट्टी के कण असंगठित हो जाते हैं जो शीघ्र ही जल एवं अन्य साधनों द्वारा सरलतापूर्वक बहा ले जाये जाते हैं और इस प्रकार सम्बन्धित क्षेत्र भूमिक्षरण की समस्या से ग्रस्त हो जाता है।

(2) मरुस्थलीय क्षेत्रों में भीषण आंधियां एवं तेज हवाएं चलती रहती हैं जो भूमि की ऊपरी परत की ढीली मिट्टी को अपने साथ उड़ा ले जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा भूमि पर आवरण क्षय होता रहता है और कालान्तर में भूमि अनुत्पादक हो जाती है।

(3) उत्तरी बंगाल, असम, नागालैण्ड, मेघालय, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश आदि राज्यों के अनेक पहाड़ी क्षेत्रों पर आदिवासी जातियों द्वारा वन क्षेत्रों को जलाकर झूमिंग पद्धति द्वारा कृषि की जाती है, जिसके फलस्वरूप इन प्रदेशों में भूमिक्षरण को बढ़ावा मिलता है।

(4) चरागाहों के रूप में निरन्तर प्रयुक्त होने वाली भूमि भी भूमिक्षरण की समस्या से ग्रस्त हो जाती है, पशु वनस्पति को अन्तिम बिन्दु तक चर कर भूमि की ऊपरी सतह को खोखला कर देते हैं। पशुओं के खुरों से भी खुद-खुद कर मिट्टी के कण ढीले एवं असंगठित हो जाते हैं जो जल अथवा वायु के साथ प्रवाहित होकर भूमि को अनुत्पादक बना देते हैं।

(5) कृषि करने के अवैज्ञानिक ढंग जैसे ढलुवा क्षेत्र में समोच्च रेखाओं के अनुरूप तथा पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीदार खेत न बनाकर खेती करने, दोष पूर्ण फसल चक्र अपनाने अथवा फसलों को गलत तरीके से बोने आदि कारणों से भी भूमिक्षरण को प्रोत्साहन मिलता है।

भूमिक्षरण से प्रभावित क्षेत्र : भारत वर्ष में यद्यपि भूमिक्षरण के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु एक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार बंगाल तथा असम के विस्तृत क्षेत्रों में विभिन्न साधनों द्वारा भूमि-क्षरण होता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण प० जिलों में दूर-दूर तक खादर एवं बंजर भूमि का विस्तार मिलता है। अकेले, इटावा जिले में ही लगभग 48 हजार हैक्टेयर में बंजर भूमि है। **इस जिले में जल धाराओं द्वारा 11 घन फीट प्रति सैकिंड की दर से मिट्टी का अपरदन होता है।** जलीय अपरदन के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा तथा इटावा आदि जिलों में वायु द्वारा भूमि क्षरण की समस्या भी गम्भीर रूप लिए हुए है। योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार **"एक समय जहां दूध और घी की नदियां बहा करती थीं वहां आज विश्व के इस सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश के मध्य में सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैली भूमि अत्यधिक पशुचारण के फलस्वरूप अपने प्राकृतिक आवरण से वंचित होकर मरुस्थल हो गई है।"**

मध्य प्रदेश में चम्बल तथा उसकी सहायक नदियों ने अतिशय भूमिक्षरण के कारण हजारों वर्ग किलो मीटर क्षेत्र को खादरों के रूप मे बदल दिया है। **"लगभग 15 लाख एकड़ भूमि पर तो जल धाराओं ने अत्यन्त गहरे खड्डों का निर्माण कर दिया है। भिन्ड, मौरेना तथा ग्वालियर जिलों में इस प्रकार की 6 लाख एकड़ भूमि का विस्तार मिलता है।"**

गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र भी इस समस्या के शिकार हैं। इन क्षेत्रों में नदियाँ पार्श्ववर्ती अपरदन द्वारा मिट्टी का कटाव करती रहती हैं। **"अनुमान के अनुसार अकेली गंगानदी ही प्रति वर्ष 30 करोड़ टन मिट्टी ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डालती है। सिन्धु नदी प्रति दिन 10 लाख टन और ब्रह्मपुत्र इससे भी अधिक मात्रा में मिट्टी बहा कर ले जाती है।"**

शिवालिक तथा हिमालय पर्वत श्रेणियों में यत्र तत्र बिखरे गहरे खड्डे, एवं खाइयां भूमि क्षरण का चित्र प्रस्तुत करते हैं। द० भारत के राज्यों में भी भूमि-क्षरण के क्षेत्रों को देखा जा सकता है।

उत्तरी पश्चिमी भारत में भूमिक्षरण मुख्य रूप से तेज वायु द्वारा होता है। इसके प्रमाण हरियाणा के गुड़गांव, करनाल, हिसार, राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर भरतपुर तथा किशनगढ़ जिलों एवं मध्य प्रदेश, गुजरात, तथा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। यहां चलने वाली आंधियां बोये एवं जोते हुए खेतों पर बालू तथा रेत की परत जमा कर देती हैं जिससे धीरे-धीरे भूमि अनुपजाऊ एवं मरुस्थलीय हो जाती है।

भूमि-क्षरण के दुष्प्रभाव

डा० ग्लोवर के अनुसार **"भू-क्षरण के कारण देश निर्वासित हो जाते हैं। लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि का विनाश होने लगता तथा कृषक बेकार घूमने लगते हैं। यह परिणाम एक वर्ष या कुछ वर्षों में उत्पन्न नहीं होते वरन् इसके सम्पन्न होने में शताब्दियां लग जाती हैं। यही कारण है कि भूमि के कटाव को धीरे-धीरे होने वाली मृत्यु (Creeping death) कहा जा सकता है।"** इन दुष्प्रभावों के अतिरिक्त नदियों की तलहटी में बालू जम जाने से नदियों में भीषण एवं आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप आरम्भ हो जाता है तथा नदियां अपनी धारा में परिवर्तन करने लगती हैं और नहरों तथा बन्दरगाहों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। सूखे की लम्बी अवधि के कारण जल श्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से सिंचाई में कठिनाई होती है। जगह-जगह निचली भूमियों में पानी भर जाता है तथा उच्च कोटि की भूमि नष्ट हो जाने से खेतिहर उत्पादन में अभूतपूर्व गिरावट आ जाती है।

भूमिक्षरण रोकने के उपाय : भूमि-क्षरण के इन भयंकर दुष्परिणामों को देखते हुए भूमि की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित उपायों को अमल में लाना परम् आवश्यक हो जाता है:

(1) भूमि का अपरदन रोकने के लिए पहाड़ी ढालों, बंजर

भूमि तथा नदियों के किनारे वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रख कर भूमि के लिये रक्षा कवच का काम करती हैं। वनों के लगाए जाने से नदियों की बाढ़ का वेग भी कम हो जाता है । अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वनों के कारण मूसलाधार वर्षा का प्रभाव भी भूमि के ऊपर कम होता है और यही कारण है कि **वनाच्छादित भूमि में जल तथा मिट्टी का ह्रास 3½ टन प्रति हैक्टेयर, चरागाह भूमि में 68 टन प्रति हैक्टेयर जल तथा 80 टन प्रति हैक्टेयर मिट्टी एवं आवरणहीन भूमि में 312 टन प्रति हैक्टेयर जल तथा 2000 टन प्रति हैक्टेयर की दर से मिट्टी का ह्रास होता है ।"**

(2) अनियन्त्रित पशु चारण पर रोक लगाई जानी चाहिए तथा इसके लिए निश्चित भूमि पर चरागाहों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(3) पहाड़ी एवं ढालू भूमियों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए तथा खेतों के किनारों पर मेंड़बन्दी भी की जानी चाहिए जिससे वर्षा का जल रुक-रुक कर बहे।

(4) बाढ़ों को नियन्त्रत करने के लिए नदियों पर बांध तथा जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे बाढ़ के समय नदियों के अतिरिक्त जल को इन जशालयों में एकत्र कर आवश्यकता के समय उपयोग में लाया जा सके । कोसी तथा दामोदर घाटी योजनाओं के विकास से सम्बन्धित घाटी क्षेत्रों में भूमिक्षरण की मात्रा में पर्याप्त गिरावट आई है।

(5) वायु भूमिक्षरण से प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी खादों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनसे मिट्टी की उर्वरकता तथा जल ग्रहण क्षमता बढ़ती रहे। मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए वायु की प्रवाह दिशा में वनस्पति अथवा अन्य साधनों से अवरोध खड़े किए जाने चाहिए ।

(6) फसलों को हेर-फेर प्रणाली द्वारा उगाया जाना चाहिए तथा भूमि का प्रयोग उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए क्योंकि **'यदि प्रत्येक क्षेत्र की अनिवार्य परिस्थितियों को ध्यान में न रखते हुए कृषि की गई तथा प्राकृतिक वनस्पति को पशुओं की अनियन्त्रित चराई द्वारा नष्ट होने दिया गया तो इनसे भूमि क्षरण की गति इतनी तेज हो सकती है कि जिस भूमि का कटाव होने में सामान्यतः 100 वर्ष लगते हैं उतनी भूमि का कटाव एक वर्ष में अथवा एक दिन में भी हो सकता है ।"**

योजनाओं के अन्तर्गत भूमि संरक्षण

भूमि संरक्षण का तात्पर्य भूमि की सामर्थ्यानुसार उपयोगिता से है अर्थात भूमि को उसकी विशेषता एवं आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में लाया जाए। योजना समिति के अनुसार **"भूमि संरक्षण के अन्तर्गत भूमि प्रबन्ध की वे समस्त विधियां तथा उपागम आते हैं—जिनके द्वारा भूमि की उपजाऊ शक्ति को आंशिक अथवा पूर्णरूप से नष्ट होने से बचाया जा सके ।"** भूमि संरक्षण के आवश्यक उपायों पर बल देने हेतु योजनाओं के अन्तर्गत काफी कुछ कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं।

कृषि वानिकी

वनों की कटाई से पारिस्थितिक संतुलन बहुत बिगड़ गया है। बड़े क्षेत्रों में निरन्तर बाढ़ आने के खतरे बढ़ गए हैं । प्राकृतिक वनों पर निर्भर रहना अनर्थकारी हो सकता है । अतः हमें वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे । सामुदायिक भूमि, बेकार पड़ी भूमि, अपने खेतों की मेड़ पर, सड़कों और रेल लाइनों के किनारे तथा नदियों और बांधों के किनारों पर वृक्ष उगाए जा सकते हैं । ऐसे मानव निर्मित वन ईंधन, लकड़ी, चारा, और छोटे लकड़ी उद्योगों की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं और भूमिक्षरण को रोक सकते हैं ।

किसान अब इस बात के प्रति जागरूक हो रहे हैं कि वृक्ष विपत्ति के समय उनके सच्चे मित्र सिद्ध होते हैं । एक बार वृक्ष की जड़ें मजबूत हो जाए तो अन्य फसलों की तरह उन पर मौसम का कुप्रभाव नहीं पड़ता । वर्षा न भी हो तो भी वृक्ष समाप्त नहीं होते । खेतों में उगे वृक्षों की गैर कानूनी कटाई का उतना डर नहीं रहता जितना कि जंगलों में उगे प्राकृतिक वृक्षों का ।

गुजरात के किसान कृषि वानिकी में छिपी लाभकारी क्षमताओं के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। भावनगर जिले के लगभग 9000 कृषकों, जिनके खेत सूखाग्रस्त क्षेत्र में हैं, ने कृषि वानिकी की प्रक्रिया को अपनाया है और वे इसे "उच्च सघन ऊर्जा बागान" कहते हैं ।

उड़ीसा के बालासोर, कटक, गंजम और पूरी जिलों में लगभग 500 किलोमीटर लम्बी समुद्री रेखा है जहां पर नारियल के पेड़ उगाए जा सकते हैं । समुद्री तट के अलावा 10,000 किलोमीटर लम्बा नहरी तट क्षेत्र है जिसमें नारियल के पेड़ लगाने की काफी गुंजाइश है । आगामी छः वर्षों में, यानी वर्ष 1988-89 तक, नहरों के किनारे लगभग तीन लाख पौधे लगाने का प्रस्ताव है। केन्द्र ने इस परियोजना के लिए 3.16 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं । नारियल विकास बोर्ड इस परियोजना को शुरू करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सहायता

भारत को सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता मिली है। फिलिपीन ने "सुबबूल" के तीन टन बीज भेजे हैं । विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता दी है। ये परियोजनाएं गुजरात और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 65.36 करोड़ रुपये और 40 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जा रही हैं। अन्य राज्यों आंध्रप्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

[शेष पृष्ठ 31 पर]

व्यापार मेले की प्रमुख झलकियां

आलोक कान्त

यह मेला भारत में आयोजित होने वाला चौथा व्यापार मेला था । इसका उद्घाटन मंत्रोच्चार के साथ हुआ । उपराष्ट्रपति श्री हिदायतुल्ला ने शान्ति का प्रतीक कबूतर आकाश में उड़ाया । इसके साथ ही रंग-बिरंगे गुब्बारे और पंतगें आकाश में उड़ने लगीं और मेले में शामिल प्रत्येक देश के झण्डे लहराने लगे । उद्घाटन समारोह में कई केन्द्रीय मंत्री और विदेशी राजनयिक उपस्थित थे ।

इस मेले में पहली बार व्यापारी दर्शकों के लिए अलग-अलग समय तय किया गया । सामान्य दर्शकों के लिए मेले का समय अपराह्न दो बजे से रात्रि के नौ बजे तक था और व्यापारी दर्शकों के लिए प्रातः दस बजे से अपराह्न एक बजे तक का था ।

मेले को पहले ही दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती शफीका जिया उल हक ने देखा। उन्होंने अपना दोपहर का भोजन प्रगति मैदान में ही फूलवाड़ी रेस्तरां में किया । बेगम जिया को भारतीय सिल्क बहुत पसन्द आई । उन्होंने 'हमारा भारत' और 'डिस्कवरी आफ इण्डिया' नामक वृत्तचित्र भी देखे ।

इस मेले में 37 देशों और 68 विदेशी कम्पनियों ने हिस्सा लिया । मुख्य बात यह रही कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने पहली बार इस मेले में बड़े पैमाने पर भाग लिया ।

मेला देखने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने प्रगति मैदान के लिए सौ विशेष बसों की व्यवस्था की।

भारतीय मण्डपों में दो-तीन राज्य के निजी उद्योगों ने भाग नहीं लिया । रक्षा मण्डप और ऊर्जा मण्डप पूरे वर्ष खुले रहेंगे । मेला समाप्त होने के बाद भी भारतीय मण्डपों को खुला रखने की आज्ञा मिल गई है ।

प्रगति मैदान में एक बंदर ने काफी उत्पात मचाया जिससे मेले के आयोजक बहुत परेशान रहे । बंदर मैदान के गेट नं. एक के आसपास रहता था, लेकिन लोगों के छेड़ने पर वह छलांगें मारता हुआ मण्डप-दर-मण्डप पहुंच जाता था।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चार नवम्बर को मेला देखा। वह अधिकतर विदेशी मण्डपों में गईं । विदेशी राजदूतों और मण्डप निदेशकों ने अपने-अपने मण्डपों में उनका स्वागत किया । सोवियत राजदूत ने उन्हें 'सोवियत भूमि' का एलबम भेंट किया ।

अमरीका, इथोपिया, ईरान आदि देशों के व्यापारियों ने गुजरात मण्डप की कई चीजों में रुचि दिखाई ।

मेले के पहले ही दिन भारत और सोवियत संघ के बीच 6 करोड़ 20 लाख रुपये के व्यापारिक अनुबंध हुए ।

राजस्थान के मण्डप में लोक धुनों की लहरियां उठ रही थीं, तो कर्नाटक के मण्डप में अगरबत्तियों की महक उठ रही थी। उत्तर प्रदेश मंडप में सांस्कृतिक झांकियों के अतिरिक्त नौटंकी आदि का भी कार्यक्रम हुआ । विभिन्न देशों के मण्डपों की सांस्कृतिक गतिविधियों में देश-विदेश के लगभग दस हजार कलाकारों ने भाग लिया ।

प्रगति मैदान के हंसध्वनि थियेटर, फलकनुमा थियेटर, प्रगति रंगमंच थियेटर, शाकुंतलम थियेटर, यूथ कार्नर, शृंगार थियेटर और ग्राम झांकी के कादम्बरी तथा सारंग थियेटर में लोकनृत्य भारतनाट्यम, कव्वाली, मुशायरा, कठपुतली का नाच, ओडिसी तथा फिल्म-प्रदर्शन हुए । उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत देवकीनंदन शर्मा की ब्रज रास लीला उल्लेखनीय थी।

बिहार मण्डप को मधुबनी चित्रकारी से सजाया गया था । इसमें आदिवासी कलाओं के नमूने चित्ताकर्षक थे । बिहार मण्डप में एक दुखद घटना यह घटी कि वहां के लघु उद्योगियों ने अपने स्टाल उठा लिए और मण्डप छोड़कर बाहर आ गये । उनका आरोप था कि मेले में भाग लेने के लिए बहुत पैसा खर्च करने के बावजूद मण्डप के निदेशक के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण उन्हें पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है ।

2 नवम्बर को यूरोपीय साझा बाजार के अध्यक्ष श्री गेस्टन थार्न प्रगति मैदान में मेला देखने पधारे । उन्होंने भारतीय मण्डपों की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की ।

12 नवम्बर को सोवियत संघ के विदेश व्यापार उपमंत्री श्री बोरिस गोदेयेव मेला देखने आए। उन्होंने भारतीय उत्पादनों की विशेष सराहना की।

इसी दिन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी व्यापार मेला देखने आये । अमरीका से इलाज कराकर लौटने के बाद वह पहली बार राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे । वह लगभग दो घण्टे तक विभिन्न मण्डप देखते रहे । उन्होंने आन्ध्र प्रदेश, असम और जम्मू-कश्मीर के

रूप देखे । रक्षा मण्डप में प्रदर्शित सैन्य उपकरणों में उन्होंने गहरी रुचि ली । उन्होंने वहां पर 'आवर इण्डिया' प्रदर्शनी में जवाहर लाल नेहरू के जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी ।

लघु उद्योग व्यापार मण्डप में देश के 264 चुने हुए उद्यमियों ने अपने उत्पादन प्रदर्शित किए । इस मण्डप को प्रति-दिन लगभग एक लाख लोग देखने आए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्याप्त आलपिन से लेकर टेलीविजन तक हर चीज यहां प्रदर्शित की गई।

अमरीकी चैंबर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के प्रतिनिधिमण्डल ने इस मण्डप में प्रदर्शित उत्पादनों में रुचि ली और अपने देश में उनका प्रचार करने का वचन भी दिया ।

महाराष्ट्र मण्डप में एक वटवृक्ष के माध्यम से औद्योगिक विकास को दर्शाया गया । मण्डप के द्वार को दीपावली पर्व के द्योतक दीपों से सजाया गया था, जो महाराष्ट्र संस्कृति का प्रतीक है ।

इस मेले में 9 अरब 25 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ, जबकि पिछले वर्ष के मेले में केवल 5 अरब रुपये का व्यापार हुआ। इस अवसर पर हास्यकवि सम्मेलन लब्धि रहा ।

14 नवम्बर को मेले का समापन हुआ। इस अवसर पर हास्यकवि सम्मेलन सहित अनेक रंगारंग कार्यक्रम हुए। बाल दिवस भी होने के कारण बच्चों को मिठाइयां बांटी गईं । उन्हें प्रगति एक्सप्रेस गाड़ी में मुफ्त सैर कराई गई और बच्चों के अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए ।

15 नवम्बर को मेला समापन के अवसर पर उत्कृष्ट मण्डपों, दूकानों और सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाने वालों को पुरस्कृत किया गया । उत्कृष्ट साज-सज्जा के लिए विदेशी मण्डपों में रूस को स्वर्ण पदक और नाइजीरिया को रजत पदक दिया गया और स्वदेशी मण्डपों में हरियाणा को स्वर्ण तथा तमिलनाडु को रजत पदक प्रदान किया गया । इसके अतिरिक्त, अनेक मण्डपों को मेले में भाग लेने के लिए प्रमाण-पत्र भी दिए गए। सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव के निधन के कारण राजकीय शोक की वजह से समापन समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाला स्वागत कार्यक्रम रद्द कर दिया गया ।

आलोक कान्त
159, पटुओं वाली गली,
गाजियाबाद-201001 (उ. प्र.)

अब देश की खातिर जीना है

मेरे देश के लोक तंत्र का, कमल सदा ही खिला रहे !
भारत के जन गण का मन, आपस में निसदिन मिला रहे !!

ऊंच-नीच की सब दीवारें,
मिल कर हमें गिरानी हैं !
जिन अधरों पर रही सिसकियां,
मुस्कान वहां अब लानी है !!

भाई के मन में भाई के लिए कहीं ना गिला रहे !
भारत के जन गण का मन, आपस में निसदिन मिला रहे !!

आजादी वरदान रूप में,
अमर शहीदों ने दी है ।
हम सब के जीवन की खातिर,
विष की घूंट सदा पी है !!

अमर शहीदों का यह उपवन, हर दम महका, खिला रहे !
मेरे देश के लोक तंत्र का, कमल सदा ही खिला रहे !!

खुद की खातिर जिये रोज़,
अब देश की खातिर जीना है !
जन-जन को अमृत देने को,
स्वयं गरल अब पीना है !!

लोक-तंत्र हो अमर हमारा, वरदान राष्ट्र को मिला रहे !
भारत के जन गण का मन, आपस में निसदिन मिला रहे !!

आशा शर्मा
176, रेलवे रोड, रुड़की-247667
(जिला-सहारनपुर)

मां का दूध – स्वस्थ सपूत

अक्षय कुमार

इधर कुछ वर्षों में पाश्चात्य देशों का अन्धानुकरण का फैशन सा चल पड़ा है। मां के दूध के स्थान पर शिशु को डिब्बाबंद दूध बोतल से पिलाना भी इस तरह की एक हानिकारक प्रथा है। अनेक विश्वव्यापी अध्ययनों एवं विश्लेषणों के फलस्वरुप यह सिद्ध हो गया है कि शिशु के लिए मां के दूध से बढ़कर कोई अन्य उपयुक्त आहार नहीं है। शिशु के लिए इस स्वाभाविक आहार की महत्ता एवं उपयुक्तता से सरकार पूर्ण रुप से परिचित है। समाज कल्याण मंत्रालय के कार्यदल की सिफारिश पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवकों, दाइयों, नर्सों एवं डाक्टरों को प्रशिक्षित करने तथा चिकित्सा पाठ्यक्रम में इस विषय पर विशेष जोर देने की एक बृहद् योजना बनाई है।

प्रस्तुत लेख में मां के दूध की अनिवार्यता, उपयोगिता एवं आवश्यकता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

औद्योगिक क्रांति एवं उपभोक्तावादी परिस्थितियों के इस युग में शिशु पालन की एक नई संस्कृति जन्म ले रही है। मां के दूध के स्थान पर तरह-तरह के डिब्बाबंद दूध पाउडर बाजार में आ गए हैं। बोतल, आधुनिकता एवं प्रगतिशीलता के प्रतीक के रूप में, मां और बच्चे के बीच खड़ी हुई है। विशेषकर शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में उच्च एवं मध्यम आय वर्ग की पढ़ी-लिखी महिलाओं की खासी बड़ी संख्या ने स्तनपान को तिलांजलि देकर बोतल एवं निपिल को अपनाया है। इनकी देखा-देखी एवं कृत्रिम दूध बनाने वाली कम्पनियों के भारी भरकम प्रचार से प्रभावित होकर समाज के अन्य कमजोर वर्गों की महिलाएं भी इस अंधी दौड़ में शामिल होकर "कैलेंडर बेबी" जैसे सुन्दर हृष्ट-पुष्ट एवं मुस्कराते बच्चों का सपना बुन रही हैं। पर दुर्भाग्य तो यह है कि इनमें से बहुत कम के ही सपने सच हुए हैं। अधिकांश बच्चे विज्ञापनों में दिखाए बच्चों की तरह विकसित न होकर अक्सर ही बीमारियों से घिरे रहते हैं। कई तो अकाल ही काल कवलित हो जाते हैं।

कृत्रिम दूध---मौत का दूत

पिछले कुछ वर्षों में विश्व के अनेक भागों में इस समस्या के वैज्ञानिक अध्ययनों का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला है कि मां के दूध में बच्चों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही उसमें रोगों से बचाने वाले अनेक प्रतिरोधक तत्व भी बच्चे को प्राप्त होते हैं। बस यहीं से सारी बात स्पष्ट हो जाती है। कृत्रिम दुग्धपान के कारण बच्चा मां के दूध से मिलने वाले अनेक रोग प्रतिरोधक तत्वों से वंचित रह जाता है जिसके कारण उसके शरीर में रोगों से लड़ने की प्राकृतिक शक्ति विकसित नहीं हो पाती। फिर, बोतल द्वारा दूध पिलाने की प्रक्रिया भी खासी झंझटपूर्ण एवं खर्चीली है। दूध पिलाने से पहले हर बार बोतल एवं निपिल को उबालकर कीटाणु-रहित किया जाना जरूरी है। दूध का पाउडर एवं पानी एक निश्चित अनुपात में ही मिलाए जाने चाहिए। दूध पाउडर की कीमतें भी अच्छी खासी हैं। फिर ईंधन ही कौन सस्ता और सुलभ है। अतः इस प्रक्रिया का पालन अच्छी खासी पढ़ी-लिखी महिला तक पूरी तौर पर नहीं कर पाती। परिणामस्वरूप दूध के साथ-साथ अनेक बीमारियों के कीटाणु भी बच्चे के शरीर में पहुंच जाते हैं, जहां प्रतिरोधात्मक शक्ति के अभाव में उन्हें फलने-फूलने का काफी मौका मिलता है। दूसरी ओर, अक्सर पाउडर कम और पानी अधिक मिलने के कारण बच्चे को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते और उसके शरीर का उचित विकास नहीं होता। मां के सानिध्य की कमी भी बच्चे के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इस प्रकार बच्चा अक्सर ही बीमार रहता है जिससे वह दुर्बल और चिड़चिड़ा हो जाता है।

हाल ही में बम्बई में किए गए एक अध्ययन के अनुसार एक अस्पताल में आए 200 रोगी बच्चों में 111 ऐसे थे जिन्हें मां के दूध की बजाय बोतल द्वारा दूध दिया जा रहा था। बच्चे को अपना दूध न पिलाने वाली महिलाओं में से 57.37 प्रतिशत प्रशिक्षित थीं। 82 प्रतिशत मामलों में मातायें धनाभाव, प्रशिक्षा, अशिक्षा अथवा अज्ञानता के कारण दूध में पाउडर कम और पानी अधिक मिलाकर पिला रही थीं। 93 प्रतिशत मातायें बोतल एवं निपिल आदि को ठीक प्रकार कीटाणु रहित किए बिना ही बच्चों को दूध पिला रही थीं। सबसे चौकाने वाली बात तो यह थी कि जिन 13 बच्चों की मृत्यु हुई वे सभी बोतल द्वारा दूध पीने वाले बच्चे थे। अकेले बम्बई में ही ऐसा नहीं हो रहा। देश के अन्य नगर, यहां तक कि विश्व के अनेक अन्य देशों में भी किए गए अध्ययनों ने इस बात की पुष्टि की है कि कृत्रिम दूध के बढ़ते प्रयोग के कारण ही विकासशील देशों में एक करोड़ से भी अधिक बच्चे डायरिया, कुपोषण, सूखा आदि रोगों के शिकार हैं।

मां का दूध---एक वरदान

आज अनेक विश्वव्यापी अध्ययनों एवं विश्लेषणों के फलस्वरूप यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है कि शिशु के लिए मां के दूध से बढ़कर कोई अन्य आहार नहीं है। यहां तक कि गाय के दूध में भी मां के दूध के मुकाबले चर्बी एवं लैक्टोज कम तथा प्रोटीन अधिक होता है। इससे बच्चों को कब्ज की शिकायत हो सकती है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि मां के दूध

में बच्चे की शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने की अद्भुत क्षमता है। समय से पहले जन्मे बच्चों और पूर्ण विकसित रूप में जन्मे बच्चों की माताओं के दूध में विभिन्न पोषक तत्वों एवं लवणों की मात्रा संयोजन में आश्चर्यजनक विभिन्नता पाई गई है ।

मां के दूध से बच्चों को अनेक रोगों के प्रतिरोधक एवं प्रतिरक्षण तत्व भी प्राप्त होते हैं। इम्यूनोग्लोविन्स, ल्यूकोसाइट्स एवं वाइपिड्स घटक आदि इनमें प्रमुख हैं। इनसे बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास होता है। उसकी आंतों के इर्द-गिर्द रक्षात्मक कवच सा बन जाता है। बच्चा गैस तथा अंतड़ियों के रोग, श्वास रोग, एलर्जी, एक्जिमा, कान आदि के रोगों से बचा रहता है। साथ ही स्तनपान से उसके चेहरे का उचित विकास होता है। बच्चा जल्दी और साफ बोलना शुरू करता है। उसके दांत स्वस्थ रूप से विकसित होते हैं। हृदय धमनियां स्वस्थ रहती हैं। मां का सान्निध्य उसे अपरिमित मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है।

नारी देह की कमनीयता

दूसरी ओर मां को बच्चे को अपना दूध पिलाने में अकल्पनीय आनन्द तो मिलता ही है। शारीरिक रूप से भी शरीर में जमी अनावश्यक चर्बी, दूध के साथ में बाहर निकल जाती है। गर्भाशय अपनी प्राकृतिक स्थिति में तेजी से लौटता है और प्रसव के बाद पेट इत्यादि बढ़ने की संभावना नहीं रहती। इस प्रकार सामान्य धारणा के विपरीत नारी का शरीर बेडौल होने की बजाय निखरता ही है। और तो और शिशु को अपना दूध पिलाने वाली माताओं को वक्ष कैंसर होने की संभावना न के बराबर ही होती है।

परिवार छोटा रखने में सहायक

स्तनपान के कारण मासिक धर्म दुबारा देर से शुरू होता है। अतः जल्दी ही पुनः गर्भ धारण की संभावना नहीं होती। फिर भी, यह कोई बहुत विश्वसनीय उपाय नहीं है। कभी-कभी प्रसव के बाद पहला मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही डिम्बकोष गर्भाशय में आ सकता है और गर्भ धारण का कारण बन सकता है। अतः गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग बन्द नहीं करना चाहिए। बहरहाल हारमोन्स पर आधारित उपायों, पिल्स इत्यादि लेने वाली महिलाओं को डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि कुछ मामलों में, इस प्रकार के साधन दूध संयोजन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।

कमजोर एवं कुपोषित महिलाएं

अक्सर कहा जाता है कि कुपोषित एवं कमजोर मां से बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप उचित मात्रा में दूध प्राप्त नहीं हो सकता। परन्तु वास्तविकता यह है कि कमजोर महिलाएं भी कम से कम तीन चार माह तक तो अपने बच्चे की पूरी आवश्यकताएं अपने ही दुध से पूरी कर सकती हैं। इस सम्बन्ध में हमारे ही देश में 1200 से 1600 कैलोरी प्रतिदिन की खुराक लेने वाली महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि दूध पिलाने वाली महिलाओं के वजन में दूध न पिलाने वाली महिलाओं के मुकाबले एक वर्ष में केवल 2 किलो वजन की ही कमी हुई। अतः बच्चे को दूध पिलाने से ऐसी महिलाओं को स्वास्थ्य पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। हां, बार-बार और जल्दी-जल्दी गर्भ धारण से वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं।

स्तन प्रवाह—एक स्वाभाविक प्रक्रिया

वास्तव में स्तन प्रवाह गर्भाशय की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका सूत्र पात गर्भ-धारण के समय से ही हो जाता है। प्रसव के बाद भी 7-8 घंटों के भीतर ही बच्चे को स्तन पान शुरू करवा दिया जाए तो दूध न उतरने की समस्या पैदा नहीं होती। लेकिन विडम्बना तो यह है कि आजकल बड़े-बड़े आधुनिक अस्पतालों में प्रसव के तुरन्त बाद करीब 13-14 घंटों तक बच्चे को मां से अलग रखा जाता है। इस दौरान जहां एक ओर उसे कृत्रिम दूध दिया जाता है वहां मां को स्तन प्रवाह करने एवं उससे उत्पन्न दर्द इत्यादि को कम करने के लिए तरह-तरह की दवाइयां दी जाती हैं। इस प्रकार दुग्ध ग्रंथियां उचित रूप से सक्रिय नहीं हो पातीं। मां में बच्चे को अपना दूध पिला पाने की अपनी क्षमता के प्रति आत्म-विश्वास कम होता है। परिणाम स्वरूप दूध न उतरने की या चिकित्सीय भाषा में "लैक्टेशन फेल्योर" की समस्या पैदा हो जाती है।

दैवीय अमृत

मां का दूध वास्तव में, एक दैवीय अमृत है। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमारे जन जीवन में मां का दूध शौर्य एवं शक्ति के प्रतीक के रूप में अनन्त काल से विद्यमान है। तरह-तरह से रीति-रिवाज इस गौरवशाली परम्परा से जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रामीण अंचलों में अभी-भी मातायें 20 से 30 माह तक बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में मां के दूध का विशद् वर्णन है। दूध अधिक उतरे इसके लिए हरीरा, गुड़, गोंद, मेवा इत्यादि देने की परम्परा है। आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र में और अध्ययन एवं अनुसंधान करके इन परम्पराओं का प्रचार-प्रसार किया जाए।

सरकारी प्रयत्न

हमारी सरकार भी इस विषय में सजग हो रही है। केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्यदल ने इस विषय में अध्ययन कर कृत्रिम दूध फार्मूलों की बिक्री एवं विज्ञापन आदि को नियमित करने का एक कोड बनाया है और स्तनपान को लोकप्रिय बनाने की सिफारिश की है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवकों, दाइयों, नर्सों एवं डाक्टरों इत्यादि के एक विशेष प्रशिक्षण की एक बृहद् योजना बनाई है। चिकित्सा पाठ्यक्रम में भी इस विषय पर विशेष जोर देने का सुझाव विचाराधीन है। प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में ग्रामीण एवं पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों की गरीब महिलाओं के पोषण-स्तर को सुधारने पर विशेष बल दिया गया है। छठी योजना तक समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत 18 लाख से अधिक गर्भवती एवं बच्चों को अपना दूध पिलाने वाली गरीब महिलाओं को पूरक पोषाहार एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

"मां का दूध" बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। वह उसे वापस दिलाने के लिए जन-आन्दोलन आरम्भ किया जाना चाहिए □

यह तो सार्वजनिक पैसा है : सम्पादक : विष्णु प्रभाकर प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल व श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवासंस्थान, पृष्ठ संख्या : 112, मूल्य : तीन रुपये ।

गांधी जी हमारे देश के ही नहीं अपितु संसार के सबसे पहले राजनैतिक नेता थे जिन्होंने राजनीति में नैतिकता पर बल दिया और साध्य के लिए साधन की शुद्धता को महत्व दिया। उनकी मान्यता रही है कि समाज की बुनियादी इकाई मनुष्य है और मनुष्य सुधरता है तो समाज सुधरेगा । इसी सिद्धांत को उन्होंने अपने चरित्र में क्रियान्वित किया । स्वयं यम-नियम के प्राचीन आर्य सिद्धांतों में सर्वप्रमुख सिद्धांतों यानी सत्य और अहिंसा को दैनिक जीवन में उतारा और दुनिया के सामने आदर्श पेश किया ।

उनके जीवन के कुछ चुने हुए प्रसंग प्रस्तुत पुस्तक में दिए गए हैं। इन प्रसंगों को पढ़ते-पढ़ते यह ख्याल आता है कि शायद इन्हीं जैसे महापुरुषों के लिए कहा गया था, "दुश्मन भी देख कह दे तुम प्यार के लिए हो ।" सारे ही संस्मरण शिक्षा से भरपूर रोचक तथा प्रेरणादायक हैं ।

चौथे संस्मरण में गांधीजी के विचार आज भी हमें ललकार रहे हैं------"हमारी रग रग में व्याप्त पश्चिम की संस्कृति, पश्चिम का रहन-सहन जब चले जाएंगे उसी दिन मैं मानूंगा कि हमने सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त की' ' ' 'इस संस्कृति ने जीवन को खर्चीला और कृत्रिम बना दिया है ।" भारत सरकार यदि उनके बताये नौसूत्र अपना लेती तो देश की गरीबी और भ्रष्टाचार भारत की धरती में गहरे गड़ जाते । पर गांधीजी ने तो स्वयं ही कह दिया--"मेरी कौन मानता है ?"

गांधी जी अपनी भाषा के कितने घोर समर्थक थे, इसका परिचय तेरहवें संस्मरण से मिलता है ।

तेंतीसवें संस्मरण में गांधीजी को सिर पर कपड़े में गीली मिट्टी रखे बताया गया है । जापान के प्रसिद्ध कवि योन नागुची ने पूछा कि यह क्या है, तो गांधीजी बोले, "मैं हिन्दुस्तान की इस मिट्टी से पैदा हुआ हूं और यही मिट्टी मेरे सिर का ताज है ।"

गांधीजी की अपरिग्रहता व निष्पक्षता का उदाहरण छतीसवां संस्करण है । स्वयं अपने पौते को किराया तक देने से इनकार कर दिया ।

बंगलौर प्रवास के दौरान सुविख्यात वैज्ञानिक सर चन्द्र शेखर रमण गांधीजी से मिले । बातचीत के दौरान रमण के तर्क काटते हुए गांधी जी बोले कि हिन्दी उतनी ही उपयोगी है जितनी आपकी यह साइंस है । काफी बातचीत के दौरान रमण को गांधी जी की मान्यता के सामने झुकना पड़ा।

गांधी जी बहुत सफाई पसन्द थे । एक बार अप्पासाहब ने एक महिला का दिया रुपया अपने पानी वाले कटोरे में ले लिया फिर सिक्का निकाल लिया । गांधी जी बोले इस कटोरे का पानी पीने योग्य नहीं है, इसमें सिक्का पड़ा था । अप्पासाहब को अपनी भूल का पता चला ।

गांधी जी में किस कदर सत्य और समय की मान्यता थी, इसका पता उस घटना से लगता है जब गांधीजी ने कांति से पूछा क्या बजा है । जवाब मिला पांच । गांधी जी ने जब स्वयं देखा तो एक मिनट बाकी था । गांधी जी ने समझाया कि समय कितना मूल्यवान है और तीस करोड़ देश के लोग यदि हर मिनट का महत्व समझें तो हम कहां पहुंच जाएं ।

प्रत्येक संस्करण अपने में बेमिसाल है और साथ ही आदर्श । पुस्तक का दूसरा संस्करण निकलना इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है । भाषा सरल और सुबोध है ।

सत्यवती

ब्रह्मा-तत्व-दर्शन : लेखक : वैद्य पं० रामप्रसाद शर्मा शास्त्री, प्रकाशक : शिव-तत्व-दर्शन ग्रंथ प्रकाशन समिति, बिरलाग्राम (नागदा) म० प्र०, पृष्ठ संख्या : 180, मूल्य : 25 रुपये ।

भारतीय साधना-पद्धति में 'त्रिदेव' अर्थात् ब्रह्मा-विष्णु-महेश का सर्वोपरि स्थान माना जाता रहा है । आयुर्वेद एवं धार्मिक आध्यात्मिक उपाधियों से अलंकृत विद्वान पं० रामप्रसाद शास्त्री ने इस ग्रंथ से पूर्व 'शिवतत्व-दर्शन', 'शक्ति दर्शन' एवं 'विष्णुतत्व दर्शन' जैसे तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हिन्दी जगत को दिए, जिनकी भूरि-भूरि प्रशंसा विद्वत समाज ने की है ।

प्रस्तुत 'ब्रह्मातत्व दर्शन' लेखक के गहन मनन एवं स्वाध्याय का दर्पण ग्रंथ कहा जा सकता है, जिससे लेखक ने वेदों, उपनिषदों, पुराणों तथा संहिता-ग्रंथों में यत्र-तत्र बिखरी हुई सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा-विषयक उपलब्ध जानकारी को सुलभ कराया है । कुल चौबीस सोपानों में विभक्त यह ग्रंथ 'ब्रह्मा के प्रादुर्भाव' 'आयु' 'ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि' तथा 'अवतार' आदि पर प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत करता है ।

शास्त्री में प्रजापति ब्रह्मा के अवतारों बिखनामुनि, जाम्बवान, कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध एवं श्रीमद् माध्वाचार्य की जो ज्ञात-अज्ञात कथाएं हैं, उन सबका विश्लेषण प्रामाणिक ढंग से इस ग्रंथ में हुआ है । ब्रह्मा जी के वरदानों के कथा-क्रम में हिरण्यकशिपु, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण एवं कंस को दिए वरदानों की पौराणिक कथा सामग्री रोचक और प्रमाण-पुष्ट है ।

वर्तमान समय में 'ब्रह्मा-तीर्थ' नाम से प्रसिद्ध पुष्कर तीर्थ सहित पूरे भारत में 'ब्रह्मा' के मन्दिरों और मूर्त्तियों का विस्तृत प्रामाणिक विवरण पाठकों को विशेष रुचिकर प्रतीत होगा, यह मुझे विश्वास है। शेष सोपानों में ब्रह्मा की वाक्शक्ति सरस्वती, सावित्री एवं गायत्री, ब्रह्मा के वाहन राजहंस तथा ब्रह्म-सूत्र के विषय में प्रामाणिक सामग्री लेखक ने एकत्र की है।

यह ग्रंथ 'ब्रह्मा' विषयक भारतीय धर्म-साधना का निचोड़ कहा जा सकता है। वेद, वेदान्त, उपनिषद्, स्मृति एवं पुराण, साहित्य के साथ ही साथ आधुनिक धर्म-मर्मज्ञ शोधकर्त्ताओं एवं दर्शनवेत्ताओं के संदर्भ में ग्रंथों का साक्ष्य देकर लेखक ने ग्रंथ की उपयोगिता और महत्ता बढ़ा दी है। 'शुद्धि पत्र' देकर लेखक ने जागरूकता का प्रमाण दिया है। मुद्रण स्तरीय और सुन्दर है। ग्रंथ भारतीय संस्कृति के स्वरूप को जानने-समझने के लिए निश्चय ही उपयोगी सिद्ध होगा, यह मेरा विश्वास है।

डा० योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरुण'

ग्रामीण जीवन में विज्ञान: लेखक—जयप्रकाश भारती, प्रकाशक—प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या—134, मूल्य—7 रुपये।

भारत की जनसंख्या ही इसकी सबसे बड़ी समस्या है और इस संख्या के 80 प्रतिशत भाग का गांव में स्थित होना इस समस्या की गम्भीरता का तीव्र एहसास दिलाता है। अतः ग्रामीण संदर्भ में ही जनसाधारण से सम्बन्धित आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को पूरा करने का प्रश्न एक बड़ा राष्ट्रीय मामला है और भारत जैसे विकासशील देश में बड़ी-बड़ी समस्याओं को सुलझाना केवल साधारण साधनों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इस दिशा में हमारे बड़े-बड़े नेताओं जैसे गांधीजी या जवाहरलाल नेहरू जी का चिन्तन विज्ञान पर ही आधारित रहा है। इस सिलसिले को हमने कहां से कहां तक ला कर दिखा दिया है इस पुस्तक में उसका बड़ा ही उचित वर्णन मिलता है। ग्रामीण जीवन में कृषि उन्नति, ग्रामोद्योग, स्वास्थ्य, आवास निर्माण, अधिक से अधिकतर अनुसन्धान द्वारा सारी समस्याओं के समाधान और उसकी सफलता पर विशेष रोशनी डाली गई है।

यह बात उल्लेखनीय है कि हमारा वैज्ञानिक प्रयास बड़े-बड़े यंत्रों और योजनाओं से हटकर ऐसी पद्धतियों और की सहायता से हुआ है जो सस्ते होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के भीतर हैं, छोटे पैमाने पर काम करने के उपयुक्त हैं और मनुष्य की सृजनात्मक वृद्धि के अनुकूल हैं।

पुस्तक सरल भाषा में अपनी विषय वस्तु का साथ निभाती है और आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए उचित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराती है।

छपाई साफ है और मूल्य बहुत ही उचित है। आशा है कि प्रकाशक की यह भेंट जनसामान्य और ग्रामीण जन-जीवन को रुचिकर और ग्राह्य होगी।

गुजरात की लोक कथाएं : लेखक—कान्ति कुमार भट्ट, प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 33, मूल्य 5 रुपये।

बाल साहित्य में लोक कथाएं विशेष महत्व रखती हैं। वास्तव में लोक कथाओं का सहज-स्वाभाविक ढंग बाल-संसार बड़ी रुचि से स्वीकार करके मनोरंजन के साथ-साथ अपनी सूझ-बूझ में भी वृद्धि प्राप्त कर सकता है।

बाल साहित्य के प्रकाशन में प्रकाशन विभाग दूसरी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं से हमेशा ही आगे-आगे रहा है। प्रस्तुत पुस्तक, जिसमें गुजरात राज्य की बारह प्रसिद्ध लोक-कथाएं सम्मिलित हैं, विभाग की नवीनतम भेंट है। प्रत्येक कथा मनोरंजक और शिक्षाप्रद होने के नाते दस साल की आयु तक के बच्चों के लिए एक रोचक उपहार की विशेषता रखती है। साज-सज्जा सुन्दर एवं मूल्य उचित है। प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य है।

रामप्रकाश राही
बी०-58, पंडारा रोड,
नई दिल्ली-110003

भारत में भूमिक्षरण और उसका निदान [पृष्ठ 25 का शेषांश]

भविष्य पर भरोसा

वनमोहत्सव और "हर बच्चे के लिए पेड़" कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों से आशा बंधती है कि कुछ ही वर्षों में भारत के भू-भाग पर वांछित स्तर तक वृक्ष दिखाई देने लगेंगे। वर्ष 1973 से उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र से शुरू हुए "चिपको आंदोलन" से पेड़ों को काटने से रोकने में जनता की इच्छा का पता चला है और उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति जाग्रत हुई है। पेड़ों के प्रति स्नेह, जो भारतीय संस्कृति की एक परम्परा है, ने उनमें पुनः प्राण डाले हैं। अग्निपुराण में कहा गया है कि एक पेड़ दस पुत्रों के समान है। वृक्ष जनता के मित्र हैं और जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये वृक्ष उनको भी शरण देते हैं जो उनको काटते हैं। उनको वे शीतल छाया भी प्रदान करते हैं। देश के हित और पर्यावरण के संरक्षण के लिए देश को हरा आवरण पहनाना आसान भी है और देश के हित में भी।□

पी० सी० बागला कालेज
हाथरस (अलीगढ़)

केन्द्र के समाचार

गांवों की गरीब महिलाओं का उत्थान

ग्रामीण गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए 50 पिछड़े जिलों में आजमायशी तौर पर एक योजना लागू की जाएगी। यह योजना खर्चीली नहीं है, अतः इसे लागू करते समय काफी कुछ फेरबदल किया जा सकता है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर विकसित नहीं की गयी है बल्कि इसे निचले स्तर से शुरू किया गया है।

कल यहां राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों के राज्य सचिवों की हुई एक बैठक में इस योजना के उद्देश्यों और इसके कार्यान्वयन के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। भारत सरकार के ग्रामीण विकास सचिव श्री ए० के० मजूमदार ने इस बैठक का उद्घाटन किया। उन्होंने इस योजना की कुछ नई विशेष बातों के बारे में बताया जिसमें महिलाओं को इस कार्यक्रम को तैयार करने और लागू करने में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में गरीब समूह में उपयुक्त पात्रों का पता लगाना विशेष रूप से कठिन होगा। श्री मजूमदार ने कहा कि मैं यह अनुभव करता हूं कि कुछ ऐसी सामाजिक बाधाएं हैं जिनके कारण महिलाएं विकास कार्यों, विशेषकर उनके संबंध में किए जा रहे कार्यों में वे पूरी तरह से भाग नहीं ले सकती हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं।

ग्रामीण तालाबों में मत्स्य पालन

विश्व बैंक की सहायता से एक नई योजना चालू वर्ष के दौरान क्रियान्वयन के लिए आरंभ की गई है जिस के अन्तर्गत देश को 108 मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों में से प्रत्येक एजेंसी 2 ग्रामीण तालाबों को अपनाएगी।

इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण तालाबों में मत्स्य पालन की उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है।

इन ग्रामीण तालाबों का पता लगाकर वहां आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध की जाएगी।

इस योजना के तहत देश की 108 मत्स्य कृषक विकास एजेंसियां 216 ग्रामीण तालाबों को अपनाएंगी।

रबी के लिए गेहूं के बीज

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा चालू रबी फसल के लिए अब तक राज्यों को गेहूं के लगभग 20,500 टन प्रमाणित बीज सप्लाई किया जा चुका है। भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश को गेहूं के 8 हजार टन और पश्चिम बंगाल को 5 हजार टन बीज सप्लाई कर रहा है। गेहूं के बीज के मामले में निगम की स्थिति बहुत अच्छी है तथा वह अन्य राज्यों की मांगों को भी पूरा कर सकता है। कृषि मंत्रालय के आग्रह पर निगम ने एक लाख 71 हजार टन गेहूं के अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं कि दैवी आपदाओं से गेहूं की फसल विशेषकर बीजों को कोई हानि न हो जैसा कि अप्रैल-मई, 1982 में बेमौसम की वर्षा से हो गया था।

चावल की वसूली में वृद्धि

वर्ष 1982-83 के विपणन मौसम के दौरान अब तक चावल की वसूली पिछले वर्ष से अधिक हो चुकी है। 12 नवम्बर, 1982 तक 17.74 लाख टन चावल की वसूली की गई जबकि पिछले वर्ष इस दिन तक 14.48 लाख टन चावल की वसूली की गई थी और इस प्रकार वसूली में 2.26 लाख टन वृद्धि दर्ज की गई है।

केन्द्रीय भंडार में सभी राज्यों में से पंजाब से सबसे अधिक 15 लाख टन चावल की वसूली की गई। इसके बाद हरियाणा से 1.23 लाख टन और तमिलनाडु से 1.11 लाख टन की वसूली की गई। जम्मू व कश्मीर से भी 2000 टन चावल की वसूली की गई जबकि पिछले वर्ष वहां से बिल्कुल वसूली नहीं की गई थी।

कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक

कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की 12 जुलाई, 1982 को स्थापना हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों, दस्तकारी तथा अन्य सम्बद्ध आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए ऋण जारी करने में संबंधित सभी मामलों में नीति, योजना तथा संचालन संबंधी पहलुओं के लिए यह एक शीर्ष संस्था होगी। कृषि तथा ग्रामीण विकास के सभी क्षेत्रों में ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह एकमात्र समन्वित एजेंसी होगी तथा छठी योजना में सम्मिलित नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू करने में भी सहायता करेगी। इसने भूतपूर्व कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम (ए० आर०डी०सी०) तथा रिजर्व बैंक से राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित पुनः वित्त की व्यवस्था करने आदि का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया है। □

बांस की पाइपों से पीने का पानी

गांवों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के रास्ते में एक मुख्य बाधा यह है कि संयंत्रों और मशीनों को लगाने और उनके रख-रखाव के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप विशाल क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाना सम्भव नहीं है।

1990 को समाप्त होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता दशक के दौरान इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कम लागत की और आसपास ही उपलब्ध साधनों पर आधारित एक वैकल्पिक प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। सम्भावना है कि बांस के पाइपों की प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस दिशा में वांछित सफलता मिल जाएगी।

बांस के पाइपों को धातु और प्लास्टिक द्वारा बनाए गए पाइपों का विकल्प माना जा रहा है। यद्यपि यह पाइप प्लास्टिक के पाइपों जितने सस्ते नहीं होंगे फिर भी तकनीकी दृष्टि से यह आसानी से बनाये और लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इनका रख-रखाव भी स्थानीय रूप से कम लागत पर हो सकेगा तथा इसके लिए अधिक तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता भी नहीं है।

जापान और फिलीपीन के अनेक गांवों में पानी बांस के पाइपों द्वारा वितरित किया जा रहा है। हाल ही में इंडोनेशिया में जावा के मीरापी ज्वालामुखी ढलानों के 24 गांवों की लगभग 60000 जनसंख्या को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 90 किलोमीटर लम्बी बांस की पाइप लाइन बिछाई गई है। तंजानिया में भी व्यापक स्तर पर बांस के पाइपों को अपनाया जा रहा है। यह पाया गया है कि 1.5 इंच व्यास के पाइप द्वारा 500 लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। बांस की कई किस्में काफी मजबूत होती हैं और काफी अधिक दबाव को सहन कर सकती हैं।

बांस कीड़े-मकोड़ों के हमले और कड़कती धूप में जल्दी चटक जाते हैं जिसके कारण इनके पाइपों की कार्यक्षमता लगभग तीन वर्ष ही रह जाती है। परन्तु वैज्ञानिकों ने ऐसे तरीकों को विकसित किया है कि बांस के पाइपों को 15 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक कार्य में लाया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन दल ने दबाव अनुकूलित बांस पाइप जल प्रणाली तैयार की है। इस विधि द्वारा 200 लोगों के समुदाय को पानी उपलब्ध कराने पर 10 रुपये प्रति व्यक्ति से भी कम लागत आएगी। सुनियोजित ढंग से रख-रखाव द्वारा पाइपों को योजनाबद्ध तरीके से बदला जा सकता है।

भारत में पहाड़ी ढलानों पर रहने वालों के लिए तो बांस का उपयोग छोटे जलाशयों से पानी लाने के लिए पहले से होता आया है। अब लगता है बांस की उपादेयता का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जो इसके महत्व को और भी बढ़ा देगा। □

"जय भारत" कहना होगा

प्रहरी मेरे लोक तंत्र के, सजग सदा रहना होगा !
हरा-भरा जनतंत्र रहे, हर बाधा को सहना होगा !!

कर्त्तव्यों के बिना कहो कब,
मान मिला अधिकारों को ?
बिना कर्म कब मिली सफलता,
प्रगति के इन नारों को ?

अकर्मण्यता के महलों को, बढ़कर अब ढहना होगा !
प्रहरी मेरे लोक तंत्र के, सजग सदा रहना होगा !!

आज़ादी का मूल्य भला कब,
बन पाया सोना-चांदी !
आज़ादी के लिए वीर तो,
सहते रहे तूफां-आंधी !!

मौत सामने आए तब भी, 'जय भारत' कहना होगा !
हरा-भरा जनतंत्र रहे, हर बाधा को सहना होगा !!

बिना त्याग कब, किसे मिला है,
लोक-तंत्र का यह उपहार !
'स्व' को राष्ट्र बनाकर ही तो,
आज़ादी से होगा प्यार !!

तेरा-मेरा भूल राष्ट्र की, धारा में बहना होगा !
प्रहरी मेरे लोक-तंत्र के सजग सदा रहना होगा !!

डा० योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरुण'
बी० एस० एम० कालेज,
रुड़की-247667

RN 708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (D)-55 to
post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi.

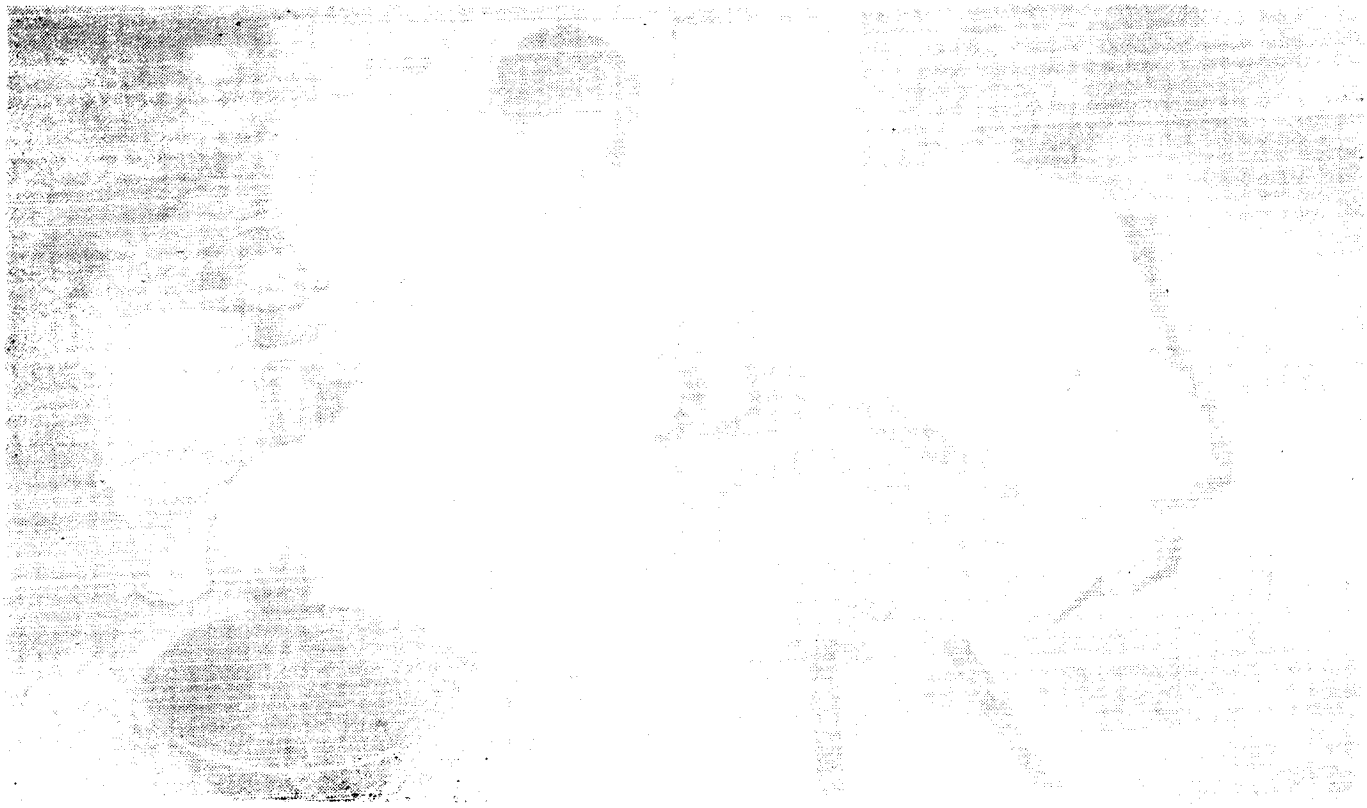

[illegible], प्रकाशन विभाग, [illegible] हाउस, नई दिल्ली 110001 द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित